GUIDANCE HANDBOOK FOR THE HANDICRAFT EXPORTERS OF INDIA

SOCIO - LEGAL STANDARDS



भारतीय हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका

सामाजिक-विधिक मानक



INDIAN HANDICRAFTS THE MAGIC OF THE GIFTED HANDS

- Houseware, Decoratives & Gifts Home Textiles, Furnishings & Floor Coverings
 - Furniture & Home Accessories Cane, Bamboo & Eco-Friendly products
 - Christmas Decorations, Candles & Incense Sticks
 - Fashion Jewellery, Accessories & Bags

EPCH Spearheading Indian Handicrafts exports globally



Export Promotion Council for Handicrafts

EPCH House, Pocket - 6 & 7, Sector - C, LSC, Vasant Kunj, New Delhi - 110 070 Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518/19 E-mail: mails@epch.com

www.epch.in

GUIDANCE HANDBOOK FOR THE HANDICRAFT EXPORTERS OF INDIA

SOCIO - LEGAL STANDARDS

भारतीय हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए मार्गदर्शन पुरित्तका

सामाजिक-विधिक मानक

This Publication is also available at EPCH website www.epch.in/compliancehandbook



| Published by: | |
|---|-------|
| Export Promotion Council for Handicrafts | |
| "EPCH HOUSE", Pocket 6&7, Sector 'C', LSC, | |
| Vasant Kunj, New Delhi-110070 | |
| Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 | |
| Email: mails@epch.com, Website: www.epch.in | |
| द्वारा प्रकाशितः | |
| | |
| हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद् | |
| ''ईपीसीएच हाउसू'', पॉकेट 6 एवं 7, सेक्टर 'सी', एलएससी, | |
| वसंत कुं <mark>ज</mark> , नई दिल्ली—110070 _. | |
| दूर <mark>भाषः +91–11–261352</mark> 56, फैक्सः +91–1–26135518 एवं <mark>19</mark> | |
| ई <mark>मेलः ma</mark> ils@ <mark>epch.com, वेबसाइ</mark> टः www.ep <mark>ch.in</mark> | |
| Sponsored by: | |
| O/o Development Commissioner (Handicrafts), | |
| Ministry of Textiles, Government of India | |
| West Block No. 7, R.K. Puram, New Delhi - 110066. | |
| Tel.: +91-11-26106902, Fax: 011-26163085, Email: dchejs@nic.in | |
| website: http://handicrafts.nic.in | |
| आयोजितः | |
| विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) का कार्यालय, | |
| वस्त्र मंत्रालय,भारत सरकार | |
| | |
| पश्चिमी ब्लाक नं. ७, आर के. पुरम, नई विल्ली — 110066 दुरभाषः +91-11-26106902, फेक्स: 011-26163085, इमेल: dchejs@nic.in | |
| वुरभाषः मन्। 1-20100002, वृत्यस्त जा 1-20100003, इगराः वटााठाउटा वेबसाइटः http://handicrafts.nic.in | |
| THE STREET HOLD THE STREET | |
| Edited & Compiled by: | |
| Mr. Dhruv Sahai | |
| M/s Sentio Advisory Initiative Private Limited | |
| Suite No. 604, Tower B. Unitech Business Zone, | |
| Nirvana Country, South City II, Golf Course Extension Road, | |
| Se <mark>ctor 50, Gurgaon, Haryana- 122018</mark> | |
| Tel: +91- 124-4115550, Email: Info@sentioadvisory.com | |
| द्वारा सम्पादित एवं संकलितः | |
| श्री ध्रुव सहाय | |
| <mark>सेंटियो एडवाईजरी इनीसिएटिव प्रा. लि.</mark> | |
| स <mark>्यूट</mark> नं. 604 <mark>, टावर</mark> बी, <mark>य</mark> ूनिटेक <mark>बिजिनेस</mark> जोन, | |
| निर्वान कंट्री, <mark>साउथ सिटी ॥, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रो</mark> ड, | |
| सेक्ट <mark>र 5</mark> 0, गुड्गांव, हरियाणा — 122018 | |
| दुरभाषः +91-124-4115550,इमेलः Info@sentioadvisory.com | |
| | |
| Designed & Printed by: | |
| Current Advertising (P) Ltd. | |
| Tel: +91-27354763, 27357417 & 45054763 | |
| द्वारा डिजाइन एवं मुद्रितः | |
| करंट एडवरटाईंजिंग (प्रा.) लि. | |
| दुरभाषः +91-27354763, 27357417 & 45054763 | |
| a | e a a |

Disclaimer

- The translation has been carried out by an independent translation agency, neither the EPCH nor the publisher will be held liable for any inaccuracies. For any inaccuracy, if found, in the translated text, please refer to the English Text.
- अनुवाद एक स्वतंत्र अनुवाद एजेंसी द्वारा किया गया है, न तो ईपीसीएच न ही प्रकाशक किसी भी चूक के लिए उत्तरदायी होंगे। कोई भी अशुद्धि अनुवादित भाषा में पाई गई, तो कृत्या अंग्रेजी माषा को देखें।
- The contents of this handbook have been edited and compiled after conducting researches across numerous databases both offline and through data available on the internet. The use of data and artwork within this handbook is purely for the purpose of creating awareness and providing guidance.
- इस पुरितका की सागग्री को ऑफुलाइन और इंटरनेट, दोनों के गाध्यग पर लजलब्ध कई डेटाबेस से शोध करने के बाद संपादित एवं संकलित किया गया है। इस पुरितका के भीतर डेटा और कलाकृति का उपयोग पूर्ण कर से जागरूकता लाने और नार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से किया नया है।

A BRIEF PROFILE... संक्षिप्त इतिवृत्त....

Export Promotion Council for Handicrafts ("EPCH") was established under Companies Act in the year 1986-87 and is a non-profit organization, with an object to promote, support, protect, maintain and increase the export of handicrafts. It is an apex body of handicrafts exporters for promotion of handicraft exports from India. EPCH continually endeavours to project India's image as a reliable supplier of high quality of handicraft goods & services. EPCH has created necessary infrastructure as well as marketing and information facilities, which are availed both by the member exporters and importers.

The Council is run and managed by team of highly qualified professionals headed by an Executive Director. EPCII has a distinction of being considered a 'Model Council' that is self-sustaining. EPCH's continued pursuit of excellence and the objective of achieving a hallmark of quality assurance by extending excellent services to all the members and stake holders has led it to become an ISO 9001:2000 certified organization.

The activities performed by EPCH include but are not limited to:

- Providing commercially useful information and assistance to members in developing and increasing exports.
- Offering professional advice and services to members in areas of technology up gradation, quality and design improvement, standards

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद को ("ईपीसीएच") कंपनी अधिनियम के तहत वर्ष 1986—87 में स्थापित किया गया था जो कि एक गैर—लाभकारी संगठन है जिसका उद्देश्य हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देना, समर्थन करना, संरक्षण करना, संभालना और वृद्धि करना है। भारत से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हस्तशिल्प निर्यातकों की यह एक शीर्ष निकाय है। ईपीसीएच, हस्तशिल्प वस्तुओं एवं सेवाओं के क्षेत्र में भारत की छवि एक विश्वसनीय उच्च गुणवत्ता वाले आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। ईपीसीएच ने आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ—साथ विपणन और सूचना सुविधाएं बनाई हैं, जो निर्यातक और आयातक दोनों के लिए उपयोगी हैं।

कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में एक सुयोग्य पेशेवर टीम द्वारा परिषद का संचालन और प्रबंधन किया जाता है। ईपीसीएच एक स्वावलंबी 'मॉडल कॉन्सिल' के रूप में विशेष योग्यता रखने वाली मानी जाती है। ईपीसीएच ने सभी सदस्यों और शेयर धारकों को अपनी उत्कृष्ट सेवाएं देकर लगातार अपनी गुणवत्ता का प्रमाण और अपनी उत्कृष्टता बना रखी है जिसने इस तरह इसे आईएसओ 9001:2000 प्रमाणित संगठन बनाने की दिशा में आगे बढाया है।

ईपीसीएच की गतिविधियां निम्न हैं लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं हैं:

- यह सदस्यों को व्यावसायिक रूप से उपयोगी जानकारी प्रदान करती है और निर्यात को विकसित करने और बढ़ाने में सहायता भी देती है।
- यह सदस्यों को व्यावसायिक सलाह देने के साथ-साथ सेवाओं के उन्नयन, गुणवत्ता और डिजाइनों मं सुधार, मानकों और विनिर्देशों, उत्पाद विकास, नवीनता आदि



and specifications, product development, innovation etc.

- Organizing visits of delegation of its members abroad to explore overseas market opportunities.
- Participating in specialized International Trade Fairs of Handicrafts & Gifts.
- Organizing Indian Handicrafts and Gifts Fair and other product specific shows like Indian Fashion jewelry & Accessories (IFJAS) and Three in one expo titled Home Expo India covering furniture, House-ware, Furnishing & Floorings.
- Interaction between exporting community and Government both at the Central and State level and representation in almost all the committees/panels of Central.
- To create an environment of awareness through Workshops and seminars on Export Marketing, Procedures and Documentation, Packaging, Design Development, Compliances, Certification, Foreign trade Policies etc.
- Dissemination of Government notification, orders, information on trade and other relevant information to members.
- To bring out monthly newsletter titled 'Craftcil' for disseminating information related to activities, events, policies, trade fairs and enquiries to member exporters.

Contact:

Export Promotion Council for Handicrafts (EPCH)
EPCH House, Pocket 6&7, Sector 'C' Vasant Kunj,

New Delhi - 110070

Phone: +91-11-26135256/57/58/75

Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com Website: www.epch.in प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में विकास करने के लिए सहायता देती है।

- यह विदेशी बाजारों में अवसरों का पता लगाने के लिए अपने सदस्यों का विदेशों में प्रतिनिधिमंडल दौरों हेतु आयोजन करवाती है।
- यह विशेषीकृत अंतरराष्ट्रीय हस्तिशिल्प एवं उपहार के व्यापार मेलों में भाग लेते है।
- भारतीय हस्तशिल्प और भारतीय उपहार मेले तथा भारतीय फैशन ज्वेलरी एवं सहायक उपकरण (आईएफजेएएस) जैसे अन्य उत्पादों एवं फर्नीचर, घरेलु—बर्तन, फर्निशिंग और फ्लोरिंग्स को शामिल करने वाले होम एक्सपो इंडिया नामक एक में तीन प्रदर्शनी जैसे विशेष शो का आयोजन।
- यह केंद्रीय और राज्य स्तर पर निर्यात समुदाय और सरकार दोनों के बीच बातचीत करता है और लगभग सभी केंद्रीय समितियों / पैंनलों का प्रतिनिधित्व करती है।
- यह निर्यात विपणन, प्रक्रियाओं और प्रलेखन', पैकेजिंग, डिजाइन विकास, अनुपालन, प्रमाणन, विदेशी व्यापार नीति आदि पर कार्यशालाओं एवं सेमिनारों के माध्यम से जागरूकता पैदा करती है।
- यह सरकारी अधिसूचना, आदेश, व्यापार पर जानकारी और अन्य प्रासंगिक जानकारियों को सदस्यों के लिए मुहैया कराती है।
- सदस्य निर्यातकों के लिए गतिविधियों, घटनाओं, नीतियों,
 व्यापार मेलों और पूछताछ से संवंधित सूचनाओं के प्रसार
 के लिए 'क्राफ्टिसल' नामक मासिक समाचार पत्र
 निकालना।

सम्पर्कः

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद ईपीसीएच हाउस, पॉकेट 6—7, सेक्टर 'सी', वसंत कुंज, नई दिल्ली — 110070

फोन: +91-11-26135256/57/58/75 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com Website: www.epch.in

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्





Message संदेश

यह जानकर मुझे अत्यंत खुशी हुई कि ईपीसीएच ने हस्तशिल्प क्षेत्र

पर लागू सामाजिक विधिक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर एक

मार्गदर्शन पुस्तिका तैयार की है जो उत्पादन और विपणन दोनों क्षेत्रों

में सक्रिय रूप से कार्यरत उत्पादकों, उद्यमियों, निर्यातकों एवं

हस्तशिल्पकारों के लिए उपयोगी एवं उन्हें जानकारी प्रदान करती

है। अंतर्राष्ट्रीय विपणन में, प्रतिरपर्धा का सामना करने और

हस्तशिल्प उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय

हस्तशिल्प भारतीय अर्थव्यवस्था का एक विकेन्द्रीकत क्षेत्र है और

प्रक्रियाओं और मानकों का अनुपालन करना अत्यंत आवश्यक है।



Development Commissioner (Handicrafts) Ex-Officio Joint Secretary Ministry of Textiles, Government of India, New Delhi विकास आयुक्त (हस्तशिल्प)पदेन संयुक्त सचिव वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

It gives me pleasure to know that EPCH has brought out a guidance book on socio legal and international standards applicable on handicrafts sector for the use as well as information of manufactures, entrepreneurs, exporters and craft persons actively engaged the handicrafts sector both at production as well as marketing level. In the international marketing, compliances of international procedures and standards are very much necessary for facing the competition and enhancing exports of handicrafts products.

The handicraft is a decentralized sector of the Indian economy and scattered all over the country. The concept of Guidance Book on compliances and that too in all major regional languages of the country is praiseworthy and keeping in view its importance for the growth of the sector and to ensure compliances by the stakeholders, Office of Development Commissioner (Handicrafts) sponsored its publication.

I hope all concerned will find the guidance book as informative and helpful in their own languages for wider understanding and dealing in exports marketing for the handicrafts products. I congratulate EPCH for coming out with an interesting publication on necessary compliances. I hope all concerned will find the guidance book as informative and helpful in their own languages for wider understanding and dealing in exports marketing for the handicrafts products. I congratulate EPCH for coming out with an interesting publication on necessary compliances.

देश भर में फैला हुआ है। अनुपालन पर मार्गदर्शन पुरितका की अवधारणा और देश की सभी प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में इसका होना सराहनीय है तथा क्षेत्र के विकास और हितधारकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इसके महत्व को ध्यान में रखते हुए विकास आयुक्त (हस्तिशल्प) कार्यालय ने इसके प्रकाशन को प्रायोजित किया है।

मैं आशा करता हूं कि सभी संबंधित पक्षों को हस्तिशल्प उत्पादों के निर्यात विपणन में उनकी अपनी भाषा में व्यापक समझ के लिए यह मार्गदर्शन पुरितका जानकारीपूर्ण और मददगार साबित होगी। मैं


ईपीसीएच को महत्वपूर्ण अनुपालन पर एक रोचक प्रकाशन <mark>के लिए</mark> बधाई देता हूं।

(S. S Gupta)

Development Commissioner

(एस.एस गुप्ता) विकास आयुक्त





From the Desk of the Chairman अध्यक्ष की ओर से

For the last 27 years, EPCH has remained the key institution for handicrafts exporters for promotion of exports of Handicrafts from India and projecting India's global image as a reliable supplier of high quality handicraft products. Now, keeping in lines with the global benchmarks, EPCH seeks to educate and guide handicrafts exporters in order to achieve the highest level of Social Compliance Standards.

Through this Guidance Handbook, developed after extensive research conducted by experts, EPCH seeks to provide basic know-how for implementing systems and procedures to ensure standards that meet the demands of buyers globally. In its constant efforts to promote India's global image, EPCH urges all handicraft exporters to go through the contents of this Handbook thoroughly and implement all applicable standards, laws, rules.

We, at EPCH, hope that the information contained herein educates, guides and assists you in getting a step closer to taking the Indian Handicraft Industry to achieve the highest level of Global Social Compliance Benchmarks.

Thank You!

dun

(Lekhraj Maheshwari) Chairman- EPCH पिछले 27 वर्षों से, ईपीसीएच हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए भारत से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान बना रहा है और उच्च गुणवत्ता युक्त हस्तकला उत्पादों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत की वैश्विक छवि प्रस्तुत कर रहा है। अब, ईपीसीएच वैश्विक मानकों के अनुसार, सामाजिक अनुपालन मानकों के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने के लिए हस्तशिल्प निर्यातकों को शिक्षित करना और उनका मार्गदर्शन करना बाहता है।

ईपीसीएच, विश्व स्तर पर खरीदारों की मांगों को पूरा करने वाले मानकों को सुनिश्चित करने के लिए, विशेषज्ञां द्वारा किए गए व्यापक शोध के बाद विकसित की गई इस दिशानिर्देश पुस्तिका के माध्यम से, प्रचलित विधियों और प्रक्रियाओं के संबंध में बुनियादी जानकारी प्रदान करना चाहता है। भारत की वैश्विक छवि को बढ़ावा देने के अपने निरंतर प्रयास में, ईपीसीएच, सभी हस्तशिल्प निर्यातकों से इस पुस्तिका की सामग्री को अच्छी तरह से पढ़ने और सभी प्रचलित मानकों, कानुनों, नियमों को लागू करने का आग्रह करता है।

हम, ईपीसीएच के लोग, यह उम्मीद करते है कि यहाँ निहित जानकारी, वैश्विक सामाजिक अनुपालन मानक के उच्चतम रतर को प्राप्त करने की दिशा में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को आगे ले जाने के लिए आपको शिक्षित करेगी और आपकी सहायता करेगी।

धन्यवाद ।

(लेखराज महेश्वरी) अध्यक्ष – ईपीसीएच

Introductory Note by Executive Director कार्यकारी निर्देशक द्वारा परिचयात्मक लेख





It is with pride that EPCH offers to you this Guidance Handbook which contains chapters providing knowledge and information of the applicable laws/ rules as well as the international standards that pertain to social and environmental compliance within the industry. As a nodal organization promoting exports of handicrafts from the country, I would like to offer my sincere gratitude towards O/o Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India for providing financial assistance for this very important handbook. utmost attention has been paid to the material provided herein. The matter within this handbook has been compiled after conducting an exhaustive research throughout global databases as well verified information available over the public domain. Various sources of primary and secondary data have been used in the process.

पुस्तिका के द्वारा संबंधित लागू कानूनों एवं नियमों की जानकारी प्रदान करते हैं और साथ ही उद्योग के भीतर अंतरराष्ट्रीय मानकों के सामाजिक और पर्यावरण अनुपालन करने की सूचना भी प्रदान करता है। देश से हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक केंद्रीय संगठन के रूप में, मैं भारत सरकार के विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) वस्त्र मंत्रालय, के कार्यालय के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस अत्यंत महत्वपूर्ण पुरितका के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के साथ—साथ इस के लिए उपलब्ध कराई गई सामग्री पर विशेष ध्यान दिया है। ग्लोबल डेटाबेस के रूप में अच्छी तरह से सत्यापित करने के बाद एक व्यापक अनुसंधान आयोजित करने की यह जानकारी इस पुस्तिका के भीतर संकलित करवाने के साथ—साथर सार्वजनिक डोमेन पर भी उपलब्ध की गई है। इस प्रक्रिया में प्राथमिक और द्वितीयक डेटा के विभिन्न स्रोतों का इस्तेमाल किया गया है।

यह गर्व का विषय है कि ईपीसीएच आपको इस मार्गदर्शन

We hope that you find this Guidance Handbook helpful and informative!

(Rakesh Kumar)

Executive Director- EPCH

हमें उम्मीद है कि इस पुस्तिका से मिली उपयोगी जानकारियां आपका मार्गदर्शन करवाएगी।

> (रा<mark>केश कुमार)</mark> कार्यकारी निदेशक— ईपीसीएच

Contents / अनुक्रम

| A Short Note on the Handicrafts Sector of India | | 01 |
|---|---|------|
| भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी | | |
| Chaper - I : | Applicable Laws/ Statutes | 03 |
| अध्याय - I : | अनुप्रयोज्य विधियां / संविधियां | |
| 3 6 75 | Reference Web-Links | 14 |
| | संदर्भ हेतु वेब-लिंक | |
| Chapter- II: | International Standard Codes of Conduct | 19 |
| अध्याय-॥ : | अंतरराष्ट्रीय मानक संहिता का प्रारूप | |
| | Suggested Checklists | 29 |
| (a) | सुझाव जांच सूची | |
| | Examples of Best Practices | 49 |
| | सबसे बढ़िया आचरण के उदारण | |
| Chapter- III: | Important International Regulation | 53 |
| अध्याय- III : | महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय विनियम | |
| | Directory | 60 |
| | निर्दे शिका | - 00 |



A Short Note on the Handicrafts Sector of India भारत के हस्तशिल्प क्षेत्र पर संक्षिप्त टिप्पणी

The story of Indian handicrafts dates back to one of the oldest civilizations of the world. Representing beauty, dignity, form and style, handicrafts from India are objects of art. The sheer versatility of the various materials used to create handcrafted gift items makes them truly unique. Materials range from wood, stone, metal, grass, paper mache and glass, to cane bamboo, textiles, clay, terracotta and ceramic — everything goes into the creation of a masterpiece. The Indian handicrafts industry covers a wide range of lifestyle and utility products, such as:

- House Ware;
- Decorative Items & Gifts;
- Home Textiles;
- Furnishings;
- Floor Coverings;
- Furniture:
- Home Accessories:
- Cane Products-Bamboo & Eco Friendly Products;
- Candles & Incense Sticks;
- Fashion Jewelry;
- ♦ Accessories & Bags.

The handicrafts sector is important for the Indian economy as it is one of the largest employment generators and accounts for a significant share of the country's export basket. The states and

भारत के हस्तशिल्प की कहानी विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं से संबंधित है। सुंदरता, गौरव, रूप और शैलियों को प्रस्तुत करने वाला भारत के हस्तशिल्प कला की वस्तुएं हैं। हस्तशिल्प से बनीं उपहार की वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग की गई विभिन्न सामग्रियों की पूर्ण बहुविज्ञता उन्हें सच्चे रूप में अद्भुत वनाती है। सामग्रियों में लकड़ी, पत्थर, धातु, घास, कागज के टुकड़े और कांच से लंकर केन बांबु, वस्त, चिकनी मिट्टी, टेराकोटा और चीनी–मिट्टी तक आते हैं – प्रत्येक वस्तु से सर्वोत्तम कृति की रचना होती है। भारतीय हस्तशिल्प उद्योग में जीवन–शैली और उपयोगी उत्पादों की व्यापक श्रेणी आती है, जैसे:

- घरेलू साज सामान;
- सजावटी वस्तुएं और उपहार;
 - घरेलू वस्त्र;
 - ♦ साज–सामान;
 - फर्श की बिछावनें;
 - फर्नीचर:
 - घरेलू उपकरण;
 - कैन उत्पाद— बांस और
 पर्यावरण मैत्री उत्पाद:
 - ❖ मोमबित्तयां और अगरबित्तयां:



- फैशनेबल आभूषण;
- 💠 उपकरण एवं थैले।

हस्तशिल्प क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह एक सबसे बड़ा रोजगार जनक है तथा देश की



regional clusters that contribute a major share to handicrafts exports include:

- Art Metal-wares: Moradabad, Sambhal, Aligarh, Jodhpur, Jaipur, Delhi, Rewari, Thanjavur, Madras, Mandap, Beedar, Kerala & Jagadhari, Jaisalmer;
- Wooden Art-wares: Saharanpur, Nagina, Hoshiarpor, Srinagar, Amritsar, Jaipur, Jodhpur, Jagdalpur, Bangalore, Mysore, Chennapatna, Madras, Kerala & Behrampur (WB);
- Hand-printed Textiles & Scarves: Amroha, Jodhpur, Jaipur, Farrukhabad, Sagru & Sanganer;
- Embroidered goods: Kutch (Gujarat), Jaisaimer, Baroda, Lucknow, Jodhpur, Agra, Amritsar, Kullu, Dharmshala / Chamba & Srinagar;
- Marble & Soft Stone Crafts: Agra, Madras, Baster, Jodhpur;
- Papier Mache Crafts: Kashmir, Jaipur;
- Terracotta: Agra, Madras, Baster, Jodhpur;
- Zari: Rajasthan, Madras, Baster;
- Imitation Jewelry: Delhi, Moradabad, Sambhal, Jaipur, Kohima (Tribal);
- Artistic Leather Goods: Indore, Kolhapur, Shanti Niketan (WB).


निर्यात टोकरी का महत्त्वपूर्ण भाग है। हस्तशिल्प का एक बड़ा भाग बनने वाले राज्यों और क्षेत्रीय समूहों में शामिल हैं:

- लित धातु—वस्तुएं: मुरादाबाद, सम्भल, अलीगढ़, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, रेवाड़ी, तनजावुर, मद्रास, मनदीप, बीदर, केरल और जगधारी, जैसलमेर:
- लकड़ी की लित—वस्तुएं: सहारनपुर, नगीना, होशियारपुर, श्रीनगर, अमृतसर, जयपुर, जोधपुर, जगदलपुर, बैंगलोर, मैसूर, चेन्नापटना, मद्रास, केरल और बेहरामपुर(पश्चिम बंगाल);
- हस्त-मुद्रित वस्त्र और स्कार्फः अमरोहा, जोधपुर, जयपुर, फर्रूखाबाद, सगडु और संगानर;
- कढ़ाई—दार मालः कच्छ(गुजरात), जैसलमेर, बड़ौदा, लखनऊ, जोधपुर, आगरा, अमृतसर, कुल्लू, धर्मशाला / चम्बा और श्रीनगर;
- मार्बल और नरम पत्थर पर शिल्पः आगरा, मद्रास, बस्तर, जोधपुर;
- पेपियर मैशे शिल्पः कश्मीर, जयपुर;
- टेराकोटाः आगरा, मद्रास, बस्तर, जोधपुर;
- कृत्रिम आभूषणः दिल्ली, मुरादावाद, सम्भल, जयपुर,
 कोहिमा(जनजातीय);
- चमड़े की कलात्मक वस्तुएं: इंदौर, कोल्हापुर, शांति निकंतन(पश्चिम बंगाल)।

Chapter - I अध्याय - I



Applicable Laws/ Statutes अनुप्रयोज्य विधियां / संविधियां





The Apprentices Act, 1961 प्रशिक्षु अधिनियम,1961

The Objective of this Act is promotion of new manpower skills as well as improvement/refinement of existing skills through theoretical and practical training. The act provides that a

person cannot be an apprentice in any designated trade unless he

has not attained 14 years of age and satisfies such standard of education and physical fitness as prescribed. The act further


provides the rate of compensation and other provisions specific to the employment of Apprentices/Trainees.

For more information:

http://dget.nic.in/acts/emp/ApprenticeAct1961.pdf

इस अधिनियम का उद्देश्य नए जनशक्ति कौशलों को बढ़ावा देने के साथ ही सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से

मौजूदा कौशलों में



विहित शिक्षा और शारीरिक फिटनेस के मानदण्डों को पूरा न करता हो। इसके अतिरिक्त अधिनियम प्रशिक्षुओं / प्रशिक्षणार्थियों के रोजगार की क्षतिपूरण दरों और अन्य विशिष्ट उपवंधों का प्रावधान करता है।

अधिक जानकारी के लिए देखें: http://dget.nic.in/acts/emp/ApprenticeAct1961.pdf

The Contract Labor (Regulation & Abolition) Act, 1970 ठेका श्रम(विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970

The Contract Labor Act was enacted to prevent exploitation of contract labor and also to introduce

better conditions of work. The Act provides for regulation and abolition of contract labor. The underlined policy of the Act is to abolish contract labor wherever possible and

practicable. The Act provides for regulated conditions of work and contemplates progressive

ठेका श्रम अधिनियम ठेका श्रम के शोषण की रोकधाम करने के साथ ही कार्य की बेहतर दशाएं प्रदान करने के लिए

अधिनियमित किया गया
था। अधिनियम ठेका श्रम
के विनियमन और
उत्सादन का प्रावधान
करता है। अधिनियम की
प्रमुख नीति जहां तक
संभव और अनुप्रयोज्य हो,



ठेका श्रम का उन्मूलन करना है। अधिनियम कार्य की नियमित दशाओं का प्रावधान करता है तथा अधिनियम के अंतर्गत abolition to the extent contemplated under the Act. The Act provides for constitution of a Contract Labor Advisory Board to advise the Government on such matters arising out of the administration of this Act as may be referred to it and to carry out other functions assigned under the Act.

For more information:

http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/contract_labour_regulation_and_abolition_act_1970.pdf

अपेक्षित सीमा तक प्रगामी उन्मूलन पर विचार करता है। अधिनियम सरकार को इस अधिनियम के प्रशासन से उत्पन्न होने वाले, इसे यथा संदर्भित मामलों पर सलाह देने तथा अधिनियम के अधीन सौंपे गए अन्य कार्यों की पूरा करने के लिए ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/contract_labour_regulation_and_abolition_act_1970.pdf

The Child Labor (Prohibition And Regulation) Act, 1986 बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

The Act addresses itself to the issue of Child Labor.

This Act prohibits the engagement of children below the age of 14 years in certain employments

as well as regulates their conditions of work. The salient features of the act include but are not limited to prohibiting employment of children across certain occupations and processes, prohibition of children from working between 1900 hours till 0800 hours on any given day, prohibition of children working for more than a period of 3 hours without a 1 hour break.

For more information:

http://www.childlineindia.org.in/pdf/Childlabour-Act-1986.pdf अधिनियम स्वतः ही बाल श्रम के मुद्दे को संबोधित करता है। यह अधिनियम कतिपय रोजगारों में 14 वर्ष रो कम आयु वाले बच्चों

के नियोजन को निषेध करने के साध—साध कार्य की दशाओं को नियमित करता है। अधिनियम की मुख्य विशेषताओं में कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में कतिपय व्यवसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के नियोजन का निषेध, किसी भी दिन बच्चों के 1900 बजे से लेकर 0800 बजे के बीच कार्य करने का निषेध, बच्चों के 1 घंटे के अंतराल के बिना लगातार 3 घंटे से अधिक अवधि तक कार्य करने का निषेध शामिल है लेकिन यह यहीं तक सीमित नहीं है।



अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://www.childlineindia.org.in/pdf/Childlabour-Act-1986.pdf



The Employees' Provident Fund & Misc. Provisions Act, 1952 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

This act is applicable to every establishment which is engaged in any industry specified in Schedule I

of the Act or in which 20 or more persons are employed, Any establishment employing even less than 20 persons can be covered voluntarily u/s 1(4) of the Act. Employees covered enjoy a benefit of Social Security in the form of a non-revocable financial fund to which employees and

employers contribute equally throughout the covered persons' employment period. This sum is payable normally on retirement or death.

For more information:

http://www.epfindia.gov.in/EPFAct1952.pdf

यह अधिनियम, अधिनियम की अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट किसी भी उद्योग में संलग्न अथवा 20 या अधिक व्यक्तियों को

> नियोजित करने वाली प्रत्येक स्थापना पर लागू है। 20 से कम व्यक्तियों को नियोजित करने वाली किसी भी स्थापना को अधिनियम की धारा 1(4) के अंतर्गत व्याप्त किया जा सकता है। व्याप्त कर्मचारी अप्रतिसंहार्य वित्तीय निधि के रूप में सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्राप्त करता है जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता व्याप्त व्यक्तियों के नियोजन

की समस्त अवधि के दौरान समान रूप से अंशदान देते हैं। यह राशि सामान्यतया सेवानिवृति या मृत्यु पर देय होता है। अधिक जानकारी के लिए देखें: http://www.epfindia.gov.in/EPFAct1952.pdf

The Employees' State Insurance Act, 1948 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948

The Employees' State
Insurance Act, 1948 provides
benefits to the workers in case
of sickness, maternity and
employment injury including
occupational diseases, through
a contributory fund. The Act
applies to all factories other than
seasonal factories, using power in the
manufacturing process and employing 10 or

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 कामगारों को अंशदायी निधि के माध्यम से व्यावसायिक रोगों सहित बीमारी, प्रसूति और रोजगार चोट के मामले में हितलाभ प्रदान करता है। अधिनियम विनिर्माण प्रक्रिया में विद्युत का

> उपयोग करने वाले तथा 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले तथा विद्युत का उपयोग न करने वाले लेकिन 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले मौसमी

more persons and factories not using power but employing 20 or more persons. The Act contains enabling provisions under which the 'appropriate authorities' are empowered to extend the provisions of the Act to other classes of establishments – industrial, commercial, agricultural or otherwise. Under this provision, most of the State Governments have extended the provisions of the Act to - Shops, hotels, restaurants, cinemas including preview theatres, road motor transport agencies, newspapers establishments etc. employing 20 or more persons.

For more information:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/SocitySecurity/TheEmployeesAct1948.pdf

कारखानों के अलावा सभी कारखानों पर लागू होता है। अधिनियम में समर्थकारी उपबंध हैं जिनके अंतर्गत समुचित प्राधिकारी अधिनियम के उपवंधों का विस्तार अन्य स्थापना वर्गों — अधिगिक, वाणिज्यिक, कृषि अथवा अन्य तक करने के लिए सशक्त है। इस उपबंध के अंतर्गत, अधिकांश राज्य सरकारों ने अधिनयम के उपबंधों का विस्तार — 20 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले पूर्वदर्शन थियेटरों, सड़क मोटर परिवहन एजेन्सियों, समाचार—पत्र स्थापनाओं सहित दुकानों, होटलों, रेस्तरांओं, सिनेमाओं तक किया गया है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Actsand Rules/SocitySecurity/TheEmployeesAct1948.pdf

The Factories Act, 1948 कारखाना अधिनियम, 1948

The Factories Act is a social legislation which has been enacted for occupational safety, health and welfare of workers at work places. This legislation is enforced by Inspectors of Factories, Dy. Chief Inspectors of Factories who work under the

control of the Labor Commissioner of Respective State Governments. This act is specific to the manufacturing industry and provides for numerous requirements under health and safety standards as well as regulatory requirements of



कारखाना अधिनियम एक सामाजिक विधान है जो कार्य स्थलों में कामगारों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के लिए अधिनियमित किया गया है। यह विधान कारखाना निरीक्षकों, उप मुख्य निरीक्षकों द्वारा प्रवर्तित किया जाता है जो संबंधित राज्य

सरकारों के श्रमायुक्तों के नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। यह अधिनियम विशेष रूप से विनिर्माण उद्योग के लिए है तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा मानदण्डों के साथ—साथ स्वीकृति और लाइसेंसों की विनियामक अपेक्षाओं के अंतर्गत अनेक अपेक्षाओं का प्रावधान करता है। यह अधिनियम कामगारों की मजदूरी



approval and licenses. The act also regulates the wages and compensation of workers. Enacted in 1948, this act has undergone several amendments in order to meet the manufacturing industry's ever changing requirements and continues to evolve till date.

For more information:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Acts andRules/Service_and_Employment/The%20Fact ories%20Act,%201948.pdf और क्षतिपूर्ति का भी विनियमन करता है। 1948 में विनियमित यह अधिनियम विनिर्माण उद्योग की सदा परिवर्तनशील अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अनेक संशोधनों से गुजरा है तथा आदिनांक तक इसका विकास करना जारी है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Acts andRules/Service_and_Employment/The%20Fact ories%20Act,%201948.pdf

The Industrial Disputes Act, 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

The Industrial Disputes Act was enacted in 1947. Its provisions are based on the Trade Dispute Act, 1929. It provides for establishment of the

Industrial Tribunals and the Works Committees with the objective of settling industrial disputes. These committees are to be constituted of workers' representatives with the intent to ease the communication process and promote harmonious relations between employer and employee.

For more information:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/LawsRelatedtoIndustrialRelations/THE%20INDUSTRIAL%20DISPUTES%20ACT,%201947.pdf

ओद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में अधिनियमित किया गया था। इसके उपबंध व्यापार विवाद अधिनियम, 1929 पर आधारित हैं। यह औद्योगिक विवादों के निपटान के उद्देश्य से

> औद्योगिक न्यायाधीकरण और कार्यशील समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है। ये समितियां नियोक्ता और कर्मचारी के वीच संप्रेषण प्रक्रिया को सहज करने तथा सदभावपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने के आशय से कामगारों के प्रतिनिधियों के साथ गठित की जानी हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/LawsRelatedtoIndustrialRelations/THE%20INDUSTRIAL%20DISPUTES%20ACT,%201947.pdf

The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 औद्योगिक रोजगार(स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946

This Act makes it obligatory for employers of an industrial establishment where 50/100 or more workers are employed to clearly define the

यह अधिनियम 50 / 100 या अधिक कामगारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक स्थापना के नियोक्ताओं के लिए इसे अनिवार्य बनाता है कि वे स्थायी आदेशों के माध्यम से नियोजन conditions of employment, by way of standing orders and to ensure awareness to the employees.

The employer is required to prepare a draft

standing order, which he proposes to adopt and submit the same to the Certifying Officers for certification. The employer is required to act in conformity with the certified standing orders in dealing with the day to

day affairs. The Certified Standing Orders have the force of the law similar to any other enactment.

For more information:

http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/industrial_e mployment_standing_orders_act_1946.pdf की दशाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें तथा सुनिश्चित करें कि कर्मचारी जागरूक बनें। नियोक्ता से अपेक्षित है कि वह

अंगीकार करने और प्रमाणन हेतु
प्रमाणित करने वाले अधिकारियों
के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए
प्रस्तावित स्थायी आदेश का
मसौदा तैयार करे। नियोक्ता से
अपेक्षित है कि वह दिन प्रतिदिन
मामलों के कार्य—व्यवहार करते
समय प्रमाणित स्थायी आदेशों के

अनुरूप कार्य करे। प्रमा<mark>णित</mark> स्थायी आदेशों में वही <mark>शक्ति होती</mark> है जो अन्य किसी विनियमन में होती है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

POLICY

http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/industrial_e mployment_standing_orders_act_1946.pdf

The Maternity Benefit Act, 1961 प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961

PATEG

DI ANNING

SOLUTION

VISION

The aim of the act is to protect motherhood by providing appropriate paid rest period to pregnant women employees. Women are eligible

for maternity benefit when she is expecting a child and has worked for her employer for at least 80 days in the 12 months immediately preceding the date of her expected delivery.

For More Information:


http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Acts andRules/EmpowermentofWomen/The%20Mater nity%20Benefit%20Act,%201961.pdf

इस अधिनियम का लक्ष्य गर्भवती महिला कर्मचारियों को समुचित वैतनिक विश्राम अवधि प्रदान करके मातृत्व की रक्षा

करना है। वे महिलाएं जिनके बच्चे को जन्म देने की संभावना हो तथा अपनी संभावित डिलीवरी की तारीख से तुरंत 12 महीने पूर्व कम—से—कम 80 दिन तक अपने नियोक्ता के लिए कार्य कर चुकी हो, प्रसूति हितलाभ की हकदार होती हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Acts andRules/EmpowermentofWomen/The%20Mater nity%20Benefit%20Act,%201961.pdf





The Minimum Wages Act, 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948

The Minimum Wages Act 1948 provides minimum statutory wages for scheduled employments with a view to obviate the chances of exploitation of labor through payment of very low and sweating wages. The Act also provides for the maximum daily working hours, weekly rest day and compensation at premium rate for overtime hours worked. The State Governments have been empowered to decide wages for different classes of employees -skilled, unskilled, clerical, supervisory, etc. employed in any Scheduled employment and to review and revise the same from time to time. The Act provides that for any scheduled employment in respect of which minimum rates of wages have been fixed, the Government shall decide the number of working hours constituting a normal working day, inclusive of one or more intervals, provide for a rest day with wages in every period of 7 days and provide for payment for work on a rest day at a rate not less than the overtime

For more information:

premium rate of compensation.

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Acts andRules/LawsRelatedtoWages/The%20Minimu m%20Wages%20Act,%201948.pdf

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 अति न्यून और श्रमसाध्य मजदूरी द्वारा श्रम शोषण के अवरारों का निवारण करने के दृष्टिगत अनुसूचित रोजगारों के लिए न्यूनतम सांविधिक मजदूरी का प्रावधान करता है। यह अधिनियम न्यूनतम दैनिक

> समयोपिर कार्य के घंटों के लिए प्रीमियम दर पर क्षतिपूर्ति का भी प्रावधान करता है। राज्य सरकारों को सशक्त किया गया है कि वे किसी भी अनुसूचित रोजगार में नियोजित कुशल, अकुशल, लिपिकीय, पर्यवेक्षी आदि कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों कें लिए मजदूरी का निर्णय करें तथा समय-समय पर इस पर पनर्विचार करें

कार्य समय, साप्ताहिक विश्राम दिवस तथा

और इसे परिशोधित करें। इस अधिनियम का प्रावधान है कि किसी भी अनुसूचित रोजगार के लिए, जिसके संबंध में न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की गई हैं, सरकार एक या अधिक अंतरालों के साथ सामान्य कार्यदिवस माने जाने वाले कार्य के घंटो की संख्या का निर्णय करेगी, 7 दिन की प्रत्येक अवधि में मजदूरी सिहत विश्राम दिवस का प्रावधान करेगा तथा विश्राम दिवस में कार्य के लिए क्षतिपूर्ति की समयोपरि प्रीमियम दर की समान दर पर भूगतान का प्रावधान करेगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें:


http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Acts andRules/LawsRelatedtoWages/The%20Minimu m%20Wages%20Act,%201948.pdf

The Payment of Bonus Act, 1965 बोनस संदाय अधिनियम, 1965

The Payment of Bonus Act imposes statutory liability upon the employers of every

बोनस संदाय अधिनियम इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक स्थापना के नियोक्ताओं पर अपने कर्मचारियों को बोनस establishment covered under the Act to pay bonus to their employees. It further provides for payment of minimum and maximum bonus and linking the

payment of bonus with the production and productivity. The Act applies to every factory where 10 or more workers are working and every other establishment in which 20 or more persons are employed, on any day of an accounting year (April 1st to March 31st).



http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/payment_of _bonus_act_1965.pdf का भुगतान करने का दायित्व डालता है। इसके अलावा यह न्यूनतम और अधिकमत बोनस के भुगतान और बोनस को

> उत्पादन और उत्पादकता से जोड़ने का भी प्रावधान करता है। यह अधिनियम 10 या अधिक कामगारों वाले प्रत्येक कारखाने पर तथा ऐसे प्रत्येक कारखाने पर लागू होता है जिसमें किसी लेखांकन वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च तक) के किसी भी दिन 20 या अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हों।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/payment_of_ _bonus_act_1965.pdf

The Payment of Gratuity Act, 1972 उपदान संदाय अधिनियम, 1972

This Act provides for the payment of gratuity to

workers employed in every factory, shop & establishments or educational institution employing 10 or more persons on any day of the preceding 12 months. A shop or establishment to which the Act has become applicable shall continue to be governed by the Act even if the number of persons employed fall below 10 at any subsequent

stage. All the employees irrespective of status or salary are entitled to the payment of gratuity on completion of 5 years of service. In case of death or disablement there is no minimum eligibility period.

For more information:

http://www.mahashramm.gov.in/maha/acts_download/Payment_of_Gratuity_Act_1972.pdf

यह अधिनियम पूर्वगत 12 महीने में किसी भी दिन 10 या अधिक

व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रत्येक कारखाने, दुकान और स्थापनाओं या शैक्षिक संस्था में नियोजित कामगारों को उपदान के भुगतान का प्रावधान करता है। अधिनियम के लागू होने के बाद कोई दुकान या स्थापना अधिनियम द्वारा शासित रहेंगी चाहे नियोजित व्यक्तियों की संख्या बाद में किसी चरण पर 10 से कम भी हो जाए। सभी कर्मचारी पद या वेतन

के अंतर के बिना 5 वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद उपदान के भुगतान के हकदार होते हैं। मृत्यु या अपंगता के मामले में कोई न्युनतम अवधि नहीं है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://www.mahashramm.gov.in/maha/acts_dow nload/Payment_of_Gratuity_Act_1972.pdf





The Payment of Wages Act, 1936 वेतन संदाय अधिनियम, 1936

This Act has been enacted with the intention of ensuring timely payment of wages to the workers and for payment of wages without unauthorized deductions. The salary in factories/establishments


employing less than 1000 workers is required to be paid by 7th of every month and in other cases by 10th day of every month. A worker, who either has not been paid wages in time or an unauthorized deduction has been made from his/her wages, can file a claim either directly or through a Trade

Union or through an Inspector under this Act, before the Authority appointed under the Payment of Wages Act. The power for hearing and deciding claims under this Act has been vested with the Presiding Officers of a Labor Courts.

For more information:

http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/payment_of _wages_act_1936.pdf


यह अधिनियम कामगारों को समय पर वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने तथा अनिधकृत कटौतियों के बिना वेतन का भुगतान करने के लिए अधिनियमित किया गया है। 1000 से कम कामगारों को नियोजित करने वाले कारखानों / स्थापनाओं



से दावा कर सकता है। इस अधिनियम के अंतर्गत दावे को सुनने और निर्णय करने की शक्ति श्रम न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी को सौंपी गई है।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/payment_of _wages_act_1936.pdf



The Act provides for registration of trade unions which include associations of employers. The Act also contains certain restrictions, protections and privileges to registered Trade Union. The Act provides that any 7 or more employees acting as an association may by complying with the provisions of this Act, apply for registration as a Trade Union under this Act. Recently the Act has been amended

यह अधिनियम मजदूर संघों के पंजीकरण का प्रावधान करता है जिनमें नियोक्ताओं के संघ शामिल हैं। इस अधिनियम में पंजीकृत मजदूर संघ के कतिपय प्रतिबंध, सुरक्षाएं और विशेषाधिकार भी शामिल हैं। इस अधिनियम का प्रावधान है कि संघ के रूप कार्य करने वाले 7 या अधिक कर्मचारी इस अधिनियम के उपबंधों का पालन करते हुए इस अधिनियम के अधीन मजदूर संघ के रूप में पंजीकरण का आवेदन कर सकते हैं। हाल ही में अधिनियम में संशोधन किया गया है तथा मजदूर

and a proviso has been added to the section relating to the registration of trade unions which provides that no trade union of workmen shall be registered unless atleast 10% or 100 workmen

whichever is less, engaged or employed in the establishment or industry with which it is connected are the members of such trade union on the date of filing the application for registration.

For more information:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Acts andRules/LawsRelatedtoIndustrialRelations/The %20Trade%20Unions%20Act,%201926.pdf संघों के पंजीकरण से संबंधित खण्ड में एक परंतुक जोड़ा गया है जिसका प्रावधान है कि कामगारों का कोई भी मजदूर संघ तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि यह जिस स्थापना या उद्योग से जुड़ा हो उसमें कार्यबद्ध या नियोजित

> कम—से—कम 10% या 100 कामगार, जो भी कम हो, पंजीकरण के लिए आवेदन करने की तारीख को इस मजदूर संघ के सदस्य न हों।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://labour.nic.in/upload/upl

oadfiles/files/ActsandRules/LawsRelatedtoIndust rialRelations/The%20Trade%20Unions%20Act,% 201926.pdf

The Workmen's Compensation Act, 1923 कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923

MOITA (M39MO)

This Act provides workmen and/or their dependents financial relief in case of accidents arising out of and in the course of employment and

causing either death or disablement of workmen. The Act applies to numerous as listed in Schedule II of the Act. Every employee, including those employed through a contractor, who is engaged for the purposes of an employer's business and who suffers an injury in any accident arising out of and in the course of his employment, shall be entitled for compensation under the Act.

For more information:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/SocitySecurity/TheWorkmenAct1923.pd

यह अधिनियम रोजगार के कारण घटित होने वाली तथा इसके दौरान होने वाली दुर्घटनाओं और इससे कामगार की मृत्यु या अपंगता होने के मामले में कामगारों तथा / या उनके आश्रितों

> को वित्तीय राहत का प्रावधान करता है। यह अधिनियम, अधिनयम की अनुसूची II में यथा सूचीबद्ध अनेकों पर लागू होता है। ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित किए जाने वाले सहित प्रत्येक कर्मचारी जो नियोक्ता के व्यवसाय के प्रयोजनार्थ कार्यबद्ध हो तथा अपने रोजगार के

कारण घटित होने वाली तथा इसके दौरान होने वाली दुर्घटनाओं से पीड़ित हो, अधिनियम के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का हकदार होगा।

अधिक जानकारी के लिए देखें:

http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/SocitySecurity/TheWorkmenAct1923.pdf





Reference Web-links संदर्भ हेतु वेब–लिंक

The complete text of the statutes referred to in this chapter may be downloaded from the web-links provided below. The details of some other web-links have also been provided for the convenience and understanding of the reader.

इस अध्याय में संदर्भित संविधियों का संपूर्ण पाठ नीचे दिए गए वेब-लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है। कुछ अन्य वेब-लिंकों के विवरण भी पाठक की सुविधा और बोध के लिए दिए गए हैं।

Statutes Pertaining to Wages & Benefits मजद्री एवं हितलाभ से संबंधित संविधियां

| Particulars (विवरण) | Website link (वेबसाइट लिंक) |
|---|---|
| The Minimum Wages Act, 1948 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/LawsRelatedtoWages/The%20Minimum%20Wages%20Act%2C%201948.pdf |
| The Minimum Wages Rules, 1948 न्यूनतम मजदूरी नियम, 1948 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/LawsRelatedtoWages/The%20Minim um%20Wages%20_Central_%20Rules1950.pdf |
| The Payment of Wages Act, 1936 वेतन संदाय अधिनियम, 1936 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/LawsRelatedtoWages/The%20Payme nt%20of%20Wages%20Act%2C%201936.pdf |
| The Payment of Wages Rules, 1937 वेतन संदाय नियम, 1937 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/LawsRelatedtoWages/ThePaymentof WagesRules1937.pdf |
| The Payment of Bonus Act, 1965 बोनस संदाय अधिनियम, 1965 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/LawsRelatedtoWages/ThePaymentof BonusAct1965.pdf |
| The Payment of Bonus Rules, 1975 बोनस संदाय नियम, 1975 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/LawsRelatedtoWages/ThePaymentof BonusRules1975.pdf |
| The Payment of Gratuity Act, 1972 उपदान संदाय अधिनियम, 1972 | http://nekkanti.in/pdfs/Payment%20of%20Grat uity%20Act%201972.pdf |
| The Payment of Gratuity Central Rules, 1972 उपदान संदाय केन्द्रीय नियम, 1972 | http://hrylabour.gov.in/docs/labourActpdfdocs/ Payment_of_Gratuity_Rules.pdf |

| Particulars (विवरण) | Website link (वेबसाइट लिंक) |
|--|--|
| The Employees' Compensation Act, 1923 कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/SocitySecurity/TheWorkmenAct1923.pdf |
| The Employees' State Insurance Act, 1948 कर्मचारी राज्य वीमा अधिनियम, 1948 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/SocitySecurity/TheEmployeesAct194 8.pdf |
| The Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Λct, 1952 कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/SocitySecurity/TheEmployeesAct195 2.pdf |
| The Maternity Benefit Act, 1961 प्रसूति हितलाभ अधिनियम, 1961 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/EmpowermentofWomen/The%20Maternity%20Benefit%20Act%2C%201961.pdf |
| The Personal Injuries (Compensation Insurance) Act, 1963 वैयक्तिक चोट (क्षतिपूर्ति बीमा) अधिनियम, 1963 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/Others/ThePersonalInjuries%28CompensationInsurance%29Act1963.pdf |
| The Personal Injuries (Emergency) Provisions Act, 1962 वैयक्तिक चोट (आपातकालीन) उपबंध अधिनियम, 1962 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/Others/ThePersonalInjuries%28Emer gency%29ProvisionsAct1962.pdf |
| Statutes Pertaining to | |
| औद्योगिक संबंधों से | संबंधित संविधियां |
| The Trade Unions Act, 1926 मजदूर संघ अधिनियम, 1926 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/LawsRelatedtoIndustrialRelations/The%20Trade%20Unions%20Act%2C%201926.pdf |
| The Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946 औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/LawsRelatedtoIndustrialRelations/Industrial%20Employment%20%28Standing%20Orders%29%20Act%2C%201946.pdf |
| The Industrial Employment (Standing Orders) Rules, 1946 औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/LawsRelatedtoIndustrialRelations/I NDUSTRIAL%20EMPLOYMENT%20%28STAN DING%20ORDERS%29%20CENTRAL%20RUL ES%2C1946.pdf |



| Particulars (विवरण) | Website link (वेबसाइट लिंक) |
|--|--|
| The Industrial Disputes Act, 1947 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/LawsRelatedtoIndustrialRelations/T HE%20INDUSTRIAL%20DISPUTES%20ACT% 2C%201947.pdf |
| The Industrial Disputes Central Rules, 1957 औद्योगिक विवाद केन्द्रीय नियम, 1957 | http://aasc.nic.in/acts%20and%20rules%20%28g oa%29/Industries%20&%20Commerce%20%20 Deptt/The%20Industrial%20Disputes%20%28Ce ntral%29%20Rules,%201957.pdf |
| The Plantation Labour Act, 1951 बागान श्रम अधिनियम, 1951 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/Service_and_Employment/The%20Pl antation%20Labour%20Act%2C%201951.pdf |
| Statutes Pertaining to Employment and Training रोजगार एवं प्रशिक्षण से संबंधित संविधियां | |
| | |
| The Apprentices Act, 1961 प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/Employment%26Traning/TheApprenticesAct1961.pdf |
| Statutes pertaining to Heal | th, Safety and Environment |
| स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण से संबंधित संविधियां | |
| The Factories Act, 1948 कारखाना अधिनियम, 1948 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/Service_and_Employment/The%20F actories%20Act%2C%201948.pdf |
| The Mines Act, 1952 खदानों की अधिनियम, 1952 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/Service_and_Employment/The%20Mines%20Act%2C%201952.pdf |
| The Dock Workers (Safety, Health & Welfare) Act, 1986 गोदी कामगार (सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कल्याण) अधिनियम, 1986 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/Service_and_Employment/The%20D ock%20Workers%20%28Safety%2C%20Health% 20%26%20Welfare%29%20Act%2C%201986.pdf |
| The Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 | http://www.moef.nic.in/legis/air/air1.html |
| The Air (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1982 वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1982 | http://www.moef.nic.in/legis/air/air2.html |

| Particulars (विवरण) | Website link (वेबसाइट लिंक) |
|--|---|
| The Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1 974 | http://www.moef.nic.in/legis/water/wat1.html |
| The Water (Prevention and Control of Pollution) Rules, 1975 जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) नियम, 1975 | http://envfor.nic.in/legis/water/water2.html |
| The Environment (Protection) Act , 1986 पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 | http://envfor.nic.in/legis/env/env1.html |
| The Explosives Act, 1884 विस्फोटक अधिनियम, 1884 | http://peso.gov.in/pdf/explosive_%20act_1884.pdf |
| The Petroleum Act, 1934 पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 | http://aptel.gov.in/pdf/PETROLEUM%20ACT.pdf |
| The Indian Boilers Act, 1923 भारतीय बॉयलर अधिनियम, 1923 | http://www.pbindustries.gov.in/downloads/The %20Indian%20%20Boilers%20Act%201923.pdf |
| The Indian Electricity Act, 1910 भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 | http://www.cercind.gov.in/IEA1910.pdf |
| The Dangerous Machines (Regulations) Act, 1983 खतरनाक मशीन (विनियम) अधिनियम, 1983 | http://agricoop.nic.in/machact1.htm |
| The Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989 खतरनाक रसायनों का विनिर्माण, भण्डार एवं निर्यात नियम, 1989 | http://envfor.nic.in/legis/hsm/hsm2.html |
| The Energy Conservation Act, 2001 ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 | http://powermin.nic.in/acts_notification/pdf/ecact2001.pdf |
| Statutes Pertaining to Working Hours, C | Conditions of Services and Employment |
| कार्य के घंटों, सेवाओं की शर्तों उ | र्गैर रोजगार से संबंधित संविधियां |
| The Factories Act, 1948 कारखाना अधिनियम, 1948 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/Service_and_Employment/The%20Factories%20Act%2C%201948.pdf |
| The Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 ठेका श्रम (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम, 1970 | http://pblabour.gov.in/pdf/acts_rules/contract_l abour_regulation_and_abolition_act_1970.pdf |



| Particulars (विवरण) | Website link (वेबसाइट लिंक) |
|--|---|
| The Contract Labour Regulation Rules, 1970 ठेका श्रम विनियमन नियम, 1970 | http://www.jnport.gov.in/new_site/right2info/regulations/CONTRACT%20LABOUR%20ACT/contract%20labour%20act%20main%20page.htm |
| The Weekly Holidays Act, 1942 साप्ताहिक अवकाश अधिनियम, 1942 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/ActsandRules/Others/WEEKLY%20HOLIDAYS%20ACT%2C%201942.pdf |
| The National and Festival Holidays Act, 1963 राष्ट्रीय एवं उत्सव अवकाश अधिनियम, 1963 | http://dpal.kar.nic.in/24%20of%201963%20%28E %29.pdf |
| The Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976 बंधुआ श्रम पद्धति (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/SectionoftheSociety/The%20Bonded %20Labour%20System%20%28Abolition%29%2 0Act%2C%201976.pdf |
| The Child Labour (Prohibition & Regulation) Act, 1986 बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/SectionoftheSociety/TheChildLabour Prohibition%26RegulationAct1986.pdf |
| The Children (Pledging of Labour) Act, 1933 बाल (श्रम का रेहन) अधिनियम, 1933 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/SectionoftheSociety/The%20Children %20%28Pledging%20of%20Labour%29%20Act %2C%201933.pdf |
| The Equal Remuneration Act, 1976 समान पारिश्रमिक अधिनियम, 19 7 6 | http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/Act sandRules/EmpowermentofWomen/The%20Eq ual%20Remuneration%20Act%2C%201976.pdf |

Procedure for Obtaining a Factory License: कारखाने का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रियाः

labourandemployment.gov.in/LC/factory/procedure.PDF


Procedure and Details for Obtaining Standing Orders: स्थायी आदेश प्राप्त करने की कार्यप्रक्रिया और विवरण:

 $http://labour.nic.in/upload/uploadfiles/files/\Lambda cts and Rules/Laws Related to Industrial Relations/Industrial Re$

Chapter - II अध्याय *-* II

International Standard Codes Of Conduct अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता का प्रारूप







A Code of Conduct is defined as a set of conventional principles and expectations that are considered binding on any person who is a member of a particular group. Codes of Conduct in the manufacturing industry came into being as a result of numerous requirements that arose out of the Untied Nations' conventions. These are the basic ethical practices on which a business owner is expected to carry out his business. The Codes of Conduct usually comprise of the following requirements:

आचार संहिता को परंपरागत सिद्धांतों और अपेक्षाओं के एक ऐसे सेट के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका पालन करना उन सभी व्यक्तियों के लिए बाध्यकारी माना जाता है, जो एक विशेष समूह के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में उठने वाली अनेक आवश्यकताओं के परिणाम स्वरूप विनिर्माण उद्योग में आचार संहिताओं का निर्माण हुआ। ये ऐसे बुनियादी नैतिक व्यवहार हैं जिनके आधार पर एक व्यवसाय मालिक द्वारा अपने व्यवसाय को चलाने जाने की उम्मीद की जाती है। आमतौर पर आचार संहिताओं निम्नलिखित आवश्यकताओं को शामिल किया जाता है:



Labor and Human Rights श्रम और मानव अधिकार

The human rights of workers must be upheld, and they must be treated with dignity and respect as understood by any international community.

Antidiscrimination

There must not be any discrimination against

any worker based on race, color, age, gender, sexual orientation, ethnicity, disability, religion, political affiliation, union membership, national origin, or marital status in hiring and employment practices such as applications for employment, promotions, rewards, access to

training, job assignments, wages, benefits, discipline, and termination. In addition, workers/ potential workers must not be required to undergo medical tests that could be

कार्यकर्ताओं के मानवाधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए, और उनसे गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा समझा जा सके (मान्य हो)।

विभेदन

किसी भी कर्मचारी के प्रति जाति, रंग, उम्र, लिंग, यौन

अभिविन्यास, जातीयता, विकलांगता, धर्म, राजनीतिक संबद्धता, संघ की सदस्यता, राष्ट्रीय मूल, या काम पर रखने और वैवाहिक स्थिति पर आधारित रोजगार प्रथाओं के अनुप्रयोगों के लिए, भेदभाव ना करते हुए कार्यकर्ता द्वारा पदोन्नति, पुरस्कार, प्रशिक्षण, रोजगार कार्य, मजदूरी के लाभ, अनुशासन, और रोजगार समाप्ति

के आवेदन करने पर दृष्टि डालना चाहिए। इसके अलावा, नियोक्ताओं द्वारा श्रमिकों या संभावित श्रमिकों को भेदभाव तरीके से चिकित्सा परीक्षणों से गुजारने की आवश्यकता नहीं



used in a discriminatory way except where required by applicable laws or regulations or prudent for workplace safety.

Fair Treatment

Business owners must commit to a workplace free of harassment. Workers must not be threatened with or be made subject to harsh or inhumane

treatment, including but not limited to sexual harassment, sexual abuse, corporal punishment, mental coercion, physical coercion, verbal abuse, or unreasonable restrictions on entering or exiting company-provided

facilities. Harassment and unlawful discrimination in the workplace must be prohibited.

Prevention of Involuntary Labor and Human Trafficking

Business owners must not traffic in persons or use any form of slave, forced, bonded, indentured, or prison labor. This includes the transportation, harboring, recruitment, transfer, or receipt of persons by means of

threat, force, coercion, abduction, fraud, or payments to any person having control over another person for the purpose of exploitation. All work must be voluntary and workers must be free to leave work or terminate their employment by providing reasonable notice. Workers must not be required to surrender any government-issued हालांकि कार्यस्थल की सुरक्षा के लिए लागू कानूनों या विनियमों की उपेक्षा होने पर इन परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है।

उचित उपचार

व्यापार मालिक को एक कार्यस्थल पर उत्पीड़न मुक्त करने के लिए प्रतिवद्ध होना होगा।

कार्यकर्ताओं को धमकी नहीं दी जानी चाहिए या उनसे किसी

भी प्रकार का कठोर या अमानवीय व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, जिसमें यौन उत्पीड़न, यौन शोषण, शारीरिक दंड, मानसिक बलात्कार, शारीरिक बलात्कार, मौखिक अपमान आदि शामिल हैं लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है या उन पर कंपनी

द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में प्रवेश करने या उनसे बाहर निकलने पर अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। कार्यरथल पर उत्पीड़न और अवैध भेदभाव निषिद्ध किया जाना चाहिए।

अनैच्छिक श्रम और मानव तस्करी की रोकथाम

व्यापार मालिक व्यक्तियों का सौदा नहीं कर सकता या फिर

उनको मजबूर करके गुलाम के, बंधुआ के,या किसी भी कैदी के रूप में कार्य नहीं करवा सकता। इसी में धमकी के बल पर, बलात्कार, अपहरण, धोखाधड़ी, या शोषण के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर नियंत्रण करने के लिए एक

स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, भर्ती, स्थानांतरण, आश्रय या व्यक्तियों की रसीद भी शामिल हैं। सभी काम स्वैच्छिक होना चाहिए और श्रमिकों अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ने के स्वतंत्रता है या उचित कारण बताते हुए नोटिस के साथ उनके रोजगार को समाप्त करने के लिए मुक्त है। श्रमिकों को नौकरी छोड़ने के लिए सरकार द्वारा जारी किसी भी पहचान, पासपोर्ट, देने के





identification, passports, or work permits as a condition of employment. It must be ensured that third-party agencies providing workers are compliant with the provisions of the applicable laws. The contracts for both direct and contract workers must clearly convey the conditions of employment in a language understood by the worker.

लिए आवश्यकता नहीं है या रोजगार की एक शर्त के रूप में वर्क परिमट देने की जरुरत नहीं है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए श्रिमकों को उपलब्ध कराने वाली तृतीय पक्ष की एजेंसियों द्वारा लागू कानून के प्रावधानों का पालन किया जा रहा है। प्रत्यक्ष और ठेका श्रिमकों दोनों के लिए अनुबंध में रोजगार की स्थिति को कार्यकर्ता द्वारा समझी जाने वाली भाषा में स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहिए।

Prevention of Underage Labor

Child labor is strictly prohibited. No business owner shall employ children. The minimum age for employment or work shall be 15 years of age. This Code does not prohibit participation in legitimate workplace apprenticeship programs that are consistent with ILO standards.

बाल श्रम की रोकथाम



वाल श्रम सख्त वर्जित है। बच्चों को व्यापार मालिक रोजगार नहीं दे सकता। रोजगार या काम के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष है। यह कोड वैध कार्यस्थल शिक्षुता कार्यक्रमों में भागीदारी नहीं कर रहे हैं जबिक वे आईएलओं के साथ संगत कर रहे हैं

Juvenile Worker Protection

Workers who are above the legal minimum age for employment but are yet to attain adulthood may be employed, on the condition that the health, safety and morals of such young persons concerned are fully protected and that such young persons have received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity.

किशोर कार्यकर्ता सुरक्षा



श्रमिक जो रोजगार के लिए कानूनी न्यूनतम आयु से ऊपर हैं लेकिन अभी तक वयस्कता प्राप्त नहीं की है, उन्हें काम पर रखा जा सकता है बशर्त कि उनके स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता को पूरी तरह से संरक्षित किया जाए और ऐसे युवाओं को गतिविधि के संबंधित शाखा में पर्याप्त विशिष्ट शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण मिला हो।

Working Hours

Except in emergency or unusual situations, a work week shall be restricted to 60 hours, including overtime, and workers must be provided with at

कार्य के घंटे

सिवाय आपातकालीन या असामान्य स्थितियों के अलावा, काम के हफ्ते 60 घंटो सहित अतिरिक्त समय, के लिए प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसमें श्रमिकों द्वारा सात दिनों में से कम least one day of rest once every seven days. All overtime shall be voluntary. Under no circumstances shall work weeks exceed the maximum permitted limit prescribed under the applicable laws.



से कम एक दिन छुट्टी होगी और सभी ओवरटाइम स्वैच्छिक होगा। किसी भी परिस्थितियों के तहत अधिकतम काम लागू कानूनों के तहत एक सप्ताह से ज्यादा नहीं होना चाहिए।

Wages and Benefits

All workers must be paid at least the minimum wage prescribed by the applicable laws and be provided with all legally mandated benefits. In addition to their compensation for regular hours of work, workers shall be compensated for overtime hours at such premium rates as may be

prescribed by the applicable laws. There must not be any deductions from wages as a disciplinary measure. All workers must be provided with leaves and holidays consistent with the applicable laws. All workers must be paid in a timely

manner and should be clearly aware of the basis on they are being paid.

वेतन और लाभ

कानूनों और विनियमों के अनुसार सभी श्रमिकों को कम से कम न्यूनतम वेतन भुगतान करने की आवश्यकता है और सभी कानूनी रूप से अनिवार्य लाभ प्रदान करने की जरुरत है। कार्यकर्ता के नियमित काम के घंटों के लिए के अतिरिक्त, प्रीमियम दर पर ओवरटाइम के घंटों के लिए लागू कानूनों के अनुसार अपेक्षित मुआवजा दिया जाएगा। अनुशासनात्मक

> उपाय के रुप में मजदूरी से कटौती का प्रयोग नहीं की जा सकती। अवकाश का समय, छुट्टियों की अवधियों के अलावा कानून और नियम के साथ सुसंगत छुट्टियों की पेशकश की जानी चाहिए है। श्रमिकों को समय पर ढंग से भूगतान किया जाना चाहिए जो

श्रमिकों को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करे कि वह किस आधार पर भुगतानित हो रहा है।

Freedom of Association

Business owners must respect the right of workers to associate freely with, form, and join workers' organizations of their own choosing, seek representation, and bargain



संघ की स्वतंत्रता



व्यापार मालिक को श्रमिकों के अधिकारों का सम्मान करना होगा जिससे वे आजादी के साथ कामगार संगठनों को बना सकें या फिर उससे जुड़े सके जिसके द्वारा वे लागू कानूनों और



collectively, as permitted by and in accordance with applicable laws and regulations. There must not be any discrimination with respect to employment based on union membership and employment must not be subject to the condition that the worker relinquish union membership or agree not to join a union.

विनियमों के अनुसार अपने स्वयं के चयन, अपने प्रतिनिधि की तलाश, और सामूहिक सौदेबाजी, की अनुमित पा सकें। संघ की सदस्यता पर आधारित रोजगार के संबंध में भेदभाव नहीं होना चाहिए और, यूनियन गतिविधियों के पूर्वाग्रह के कारण विशेष रूप से, रोजगार देते हुए यह शर्त नहीं रख सकता कि कर्मचारी मजदूर संघ सदस्यता त्यागे या एक संघ में शामिल नहीं होने की सहमित दे।



Health and Safety स्वास्थ्य और सुरक्षा

VORKPLACE SAFETY STANDARDS


Attention to health and safety is not just about being socially responsible. It also makes good business sense and should be regarded just as important as the achievement of any other key business objective. Integrating sound health and safety management practices into all aspects of business is essential to maintain high morale and improved productivity.

स्वास्थ्य और सुरक्षा पर ध्यान देना केवल सामाजिक रूप से जिम्मेदार होने के लिए ही नहीं है। यह अच्छी व्यावसायिक समझ भी है और इसे किसी भी अन्य प्रमुख व्यावसायिक उद्देश्य की उपलब्धि के समान महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। उच्च मनोबल और उत्पादकता में सुधार को बनाए रखने के लिए व्यापार के सभी पहलुओं में सुदृढ़ स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन के तरीकों को शामिल करना आवश्यक है।

Occupational Injury Prevention

Physical hazards must be eliminated wherever possible. Where physical hazards cannot be

eliminated, appropriate engineering controls such as physical guards, interlocks, and barriers must be provided. Where appropriate engineering controls are not possible, appropriate administrative controls such as safe work procedures must be





जहां तक संभव हो शरीर पर चोट लगने के खतरों को खत्म करना चाहिए। जहां चोट लगने के खतरों का सफाया किया जा

> नहीं सकता, वहां उचित इंजीनियरिंग नियंत्रण जैसी सुविधाएं जैसे फिजिकल गार्ड, इन्टरलॉक, और बाधाएं मुहैया करवानी चाहिए। जहाँ उचित इंजीनियरिंग नियंत्रण संभव नहीं हैं, वहां उपयुक्त प्रशासनिक नियंत्रण जैसे सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं की स्थापना करनी चाहिए। सभी मामलों में,

श्रमिकों के साथ उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान करना चाहिए।

सुरक्षा संबंध मुद्दों को उठाने के लिए श्रमिकों पर अनुशासनात्मक

concerns and shall have the right to refuse unsafe working conditions without fear of reprisal until their concerns have been addressed.

Prevention of Chemical Exposure

Business owners must identify, evaluate, and control worker exposure to hazardous chemical, biological, and physical agents. Chemical hazards must be eliminated wherever possible. Where chemical hazards cannot be eliminated, appropriate

administrative controls such as safe work procedures must be established. The concerned workers must be provided with appropriate personal protective equipment.

Emergency Prevention, Preparedness, and Response


Business owners are expected to anticipate, identify, and assess emergency situations and

minimize their impact by implementing emergency plans and response procedures, including but not limited to emergency reporting, worker notification and evacuation procedures, worker training

and drills, appropriate first-aid supplies, appropriate fire detection and suppression equipment, adequate exit facilities, and recovery plans.

कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए और उनकी चिंताओं को संबोधित किये जाने तक उन्हें प्रतिशोध के भय के बिना काम की असुरक्षित परिस्थितियों से काम करने से मना करने का अधिकार होना चाहिए।

रासायनिक प्रदर्शन की रोकथाम




जहां रासायनिक खतरों को समाप्त नहीं किया जा सकता है, वहां सुरक्षित कार्य प्रक्रियाओं जैसे उपयुक्त प्रशासनिक नियंत्रण को स्थापित किया जाना चाहिए। संबंधित कार्यकर्ताओं को उचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए।

आपातकालीन रोकथाम, तैयारी और प्रतिक्रिया

व्यवसाय के मालिकों से, आपातकालीन स्थितियों की अपेक्षा, पहचान और आकलन करने तथा आपातकालीन योजनाओं और

जवाबी प्रक्रियाओं को लागू कर उनके प्रभाव को कम करने की अपेक्षा की जाती है, जिनमें आपातकालीन रिपोर्टिंग, कार्यकर्ता अधिसूचना और निकासी प्रक्रियाओं, कार्यकर्ता प्रशिक्षण और अभ्यास, उचित प्राथमिक चिकित्सा की आपूर्ति, आग का पता लगाने और शमन

के उपयुक्त उपकरण, बाहर निकलने की पर्याप्त सुविधा, और वहाली की योजना आदि शामिल हैं लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है।






Occupational Safety Procedures and Systems

Business owners must establish procedures and

systems to manage, track, and report occupational injury and illness. Such procedures and systems should encourage worker reporting, classifying and recording injury and illness cases, followed by



Ergonomics

Business owners must identify, evaluate, and

control worker exposure to physically demanding tasks, including manual material handling, heavy lifting, prolonged standing, and highly repetitive or forceful assembly tasks.

Awareness and Education of Health & Safety Procedures & Standards

In order to foster a safe work environment,

Business owners shall provide workers with appropriate workplace health and safety information and training, including but not limited to written health and safety information and warnings, in the primary language of the workers.

व्यावसायिक सुरक्षा प्रक्रियाऐं और प्रणालियां

व्यापार मालिक को प्रक्रियाओं और प्रणालियों का प्रबंधन करने

के लिए, उन पर लगातार नजर रखे, और व्यावसायिक चोट और बीमारी की रिपोर्ट करे। ऐसी प्रक्रियाऐं और प्रणालियां कार्यकर्ता को स्वंय रिपोंट, वर्गीकृत करके चोट और बीमारी मामलों के रिकॉर्ड को रखने के लिए, मामलों की जांच करने के लिए और उनके कारणों को खत्म करने के

लिए, आवश्यक चिकित्सा उपचार उपलब्ध कराने के लिए, और श्रमिकों की सुविधा के लिए सुधारात्मक कार्रवाई को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करती हैं ताकि श्रमिक खुशी खुशी काम पर लौटें।

कर्मचारी परिस्थिति विज्ञान

व्यापार मालिक आपूर्तिकर्ताओं की पहचान, मूल्यांकन कर

सकता है, और कार्यकर्ता द्वारा शारीरिक कार्य की मांग जिसमें मैन्युअल सामग्री को उठाने, भारी सामान उठाने, लंबे समय तक खड़े रह कर काम करने और अत्यधिक जोर लगा कर किए जाने वाले कार्यों में होने वाले जोखिम को नियंत्रित कर सकता है।



स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रक्रियाओं और मानकों के बारे में जागरूकता और शिक्षा

एक सूरक्षित काम के माहौल को बढ़ावा के लिए नियुक्तिकर्ता

को कार्यस्थल पर श्रमिकों के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य और सुरक्षा जानकारी और प्रशिक्षण,श्रमिकों की प्राथमिक भाषा में लिखित जानकारी देकर उन्हें स्वास्थ्य और सुरक्षा और चेतावनियों सहित प्रदान करना होगा, और सीमित न रह जाए कर्मचारियों की प्राथमिक भाषा में लिखे होने तक।



Worker Health and Safety Committees

Workers must be encouraged to create and participate in worker health and safety committees to enhance ongoing health and safety education and to encourage worker input regarding health and safety issues in the workplace.

कर्मचारी स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियाँ



आरंभ से ही कार्यस्थल में कार्यकर्ता को स्वास्थ्य और सुरक्षा समितियों द्वारा दी जा रहे स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों के संबंध में और कार्यस्थल पर कर्मचारियों को स्वास्थ्य और सुरक्षा की शिक्षा को बढ़ाने के लिए समर्थन को प्रोत्साहित करना चाहिए।



Environmental Impact पर्यावरणीय प्रभाव

Sustainability is the key to preventing or reducing the effect of environmental issues. There is now clear scientific evidence that humanity is living unsustainably, and that an unprecedented collective effort is needed to return human use of natural resources to within sustainable limits. With proper environmental management, there are various ways by which environmental impact could be minimized and significant savings be created. Using sustainable resources and employing proper recycling and waste reduction measures can not only have a positive effect on the environment, but can also improve profitability as well as reputation with customers.

पर्यावरण के मुद्दों के प्रभाव को रोकने या कम करने के लिए रिधरता महत्वपूर्ण है। अब इस बात के स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि मानवता अस्थायी रूप से रह रही है मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को निरंतरता की सीमा के भीतर वापस लाने के एक अभूतपूर्व सामूहिक प्रयास की जरूरत है। उचित पर्यावरण प्रबंधन से पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सकता है और ऐसे अनेक तरीके हैं जिनसे महत्वपूर्ण बचत की जा सकती है। स्थायी संसाधनों का प्रयोग और उचित पुनरावर्तन तथा बर्बादी में कमी से केवल पर्यावरण पर ही सकारात्मक प्रभाव नहीं होगा, बल्कि ये मुनाफे को बढ़ाने के साथ ही ग्राहकों के साथ प्रतिष्टा में भी सुधार ला सकते हैं।

Hazardous Substance Management and Restrictions

Business must comply with the applicable laws and regulations prohibiting or restricting the use or handling of specific substances. To ensure safe handling, movement, storage, recycling, reuse, and disposal,

खतरनाक पदार्थ प्रबंधन और प्रतिबंध

व्यापार में विशिष्ट पदार्थों के उपयोग या निपटान पर रोक लगाने या सीमित करने के लिए प्रचलित कानूनों और नियमों का पालन करना आवश्यक है। सुरक्षित हैंडलिंग के लिए, लाने— ले जाने के लिए, भंडारण के लिए, रिसाइकिलिंग के लिए, पुनः प्रयोग और निपटान सुनिश्चित करने के लिए, नियुक्तिकर्ता पदार्थों की पहचान करेगा जिससे





they shall identify and manage substances that pose a hazard if released to the environment and comply with applicable labeling laws and regulations for recycling and disposal. पर्यावरण के लिए खतरा बनी वस्तु का प्रबंधन और लागू कानूनों और विनियमों के साथ लेबलिंग,रिसाइकिलिंग और निपटाने का अनुपालन सुनिश्चित हो।

Solid Waste Management

Business owners must manage and dispose of non-hazardous solid waste generated from operations in accordance with the procedures prescribed under the applicable laws and regulations.





व्यापार मालिक को लागू कानूनों और विनियमों के अनुरुप गैर खतरनाक ठोस अपशिष्ट से उत्पन्न पदार्थों का निपटान और प्रबंधन भी करना होगा।

Wastewater and Storm Water Management

and treat wastewater generated from operations before discharge as required by applicable laws and regulations. They shall take appropriate precautions to prevent contamination of storm water runoff from their facilities.

Business owners must monitor, control,

अपशिष्ट जल और तूफान जल प्रबंधन

व्यापार मालिक को लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार अपशिष्ट जल निर्वहन से उत्पन्न पद्वार्थों का आवश्यकतानुसार निगरानी, नियंत्रण, और परिचालन से पहले निपटान करना होगा। नियुक्तिकर्ताओं को

बरसाती जल प्रवाह द्वारा उनकी सुविधाओं को प्रदूषित होने से रोकने के लिए उचित सावधानियां बरतनी होगीं।

Air Emissions Management

Business owners shall characterize, monitor, control, and treat air emissions of volatile organic chemicals, aerosols, corrosives, particulates, ozone-depleting chemicals, and combustion byproducts generated from

operations, as required by applicable laws and regulations, before discharge

हवा उत्सर्जन प्रबंधन

व्यापार मालिक को लागू कानूनों और विनियमों द्वारा ज्वलनशील और वाष्पशील कार्बनिक रसायनों पर, एयरोसील्ज पर, ओजोन को घटा रहे कार्बनिक रसायनों पर और दहन के द्वारा उत्सर्जित उप उत्पादों के निपटान पर, वर्गीकरण करके नजर रखते हुए नियंत्रण

करना होगा।





Provided below are certain checklists that would educate, guide, create awareness and assist in monitoring the implementation of the requisite standards as prescribed under the aforesaid Codes of Conduct.

नीचे कुछ जाँच सूचियाँ प्रदान की गई हैं, जो शिक्षित, निर्देशित और जागरूकता उत्पन्न करेंगी और इनसे पूर्वोक्त आचार संहिताओं के तहत निर्धारित अपेक्षित मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी में भी मदद मिलेगी।





SUGGESTED CHECKLIST ON HEALTH AND SAFETY स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए सुझाई गई जांच सूची

Section I: Fire Safety - (a) Equipment खंड I: आग सुरक्षा – (ए) उपकरण

| 1 | Factory must have the necessary equipment and facilities for extinguishing fire फैक्टरी में आवश्यक उपकरण और आग बुझाने के लिए सुविधाएं होनी चाहिए |
|---|---|
| 2 | Factory must Inspect necessary equipment and facilities for extinguishing fire on a regular basis फैक्टरी में नियमित आधार पर आवश्यक उपकरणों और आग बुझाने के लिए सुविधाओं का निरीक्षण करना होगा |
| 3 | Fire Extinguishers must match the potential fire hazard आग बुझाने वाले उपकरण द्वारा संभावित आग को बुझाने का सार्मथ्य होना चाहिए |
| 4 | Fire Extinguishers must be located within 75 ft of every worker |
| | आग बुझाने वाला उपकरण हर कार्यकर्ता की पहुंच के 75 फीट के भीतर स्थित होना चाहिए |
| 5 | Fire Extinguishers must have maintenance tags attached to them and indicate the date they |
| | were last checked and serviced |
| | आग बुझाने वाला उपकरण का रखरखाव ठीक तरह से करना होगा और पिछले दिनों में उसकी सर्विस करके कब जांच की गई थी उस पर टैग लगा कर उसका संकेत दें। |
| 6 | Battery-operated emergency lights must be placed in useful locations in order must light |
| | aisles, halls, and stairways along evacuation routes |
| | बैटरी संचालित इमरजेंसी लाइट्स को क्रम में, गलियारे में हॉल में और सीढ़ियों के निकास मार्गों जैसेउपयोगी स्थानों में प्रकाश करने के लिए रखा जाना चाहिए। |
| 7 | Factory must install a separate fire-alarm that may be heard throughout the factory and has a |
| | back up battery or an uninterruptible power supply |
| | फैक्टरी में एक अलग आग—अलार्म स्थापित करना आवश्यक है जिसे फैक्टरी भर में सुना जा सकता है,उसमें एक बैकअप बैटरी या एक अबाधित विद्युत आपूर्ति होनी चाहिए। |
| 8 | Factory must install a visible fire-alarm in work areas where workers are required must wear |
| | hearing protection |
| | फेक्टरी को कार्य स्थल पर एक दृश्यमान आग अलार्म स्थापित करना होगा जहां श्रमिकों को आवश्यकतानुसार श्रवण रांरक्षण यंत्र पहनना चाहिए। |
| 9 | Factory must post "Danger," "Warning," and "No Smoking" signs where needed |
| | कारखाने में जहां आवश्यक हो वहां 'खतरा ' ' चेतावनी ' 'धूम्रपान नहीं' का संकेत लगाना होगा। |
| | |

Section I: Fire Safety - (b) Training and Records खंड I: अग्नि सुरक्षा – (बी) प्रशिक्षण और रिकॉर्ड्स 10 Factory must train workers on all shifts on using the Fire Extinguishing equipment आग बुझाने उपकरणों को प्रयोग करने के लिए सभी पारियों के श्रमिकों को कारखाने द्वारा प्रशिक्षित करना होगा 11 Factory must hold emergency evacuation drills often enough that workers know the drill procedure and consider it routine कारखाने में अक्सर होने वाली डिल प्रक्रिया द्वारा नियमित अभ्यास से श्रमिकों को आपातकालीन निकास के संबंध में पर्याप्त जानकारी दी जानी चाहिए। 12 Factory must Keep records of emergency evacuation drills. These records should include details about the drill (e.g., the time the last person exited the building, an accounting of all workers, any issues noticed during evacuation, plans must correct such issues) फैक्टरी को आपातकालीन निकासी अभ्यास के रिकॉर्ड रखने चाहिए। इन रिकॉर्डस में ड्रिल के बारे में विवरण शामिल होना चाहिए (उदाहरण के लिए, पिछले समय कोई व्यक्ति इमारत से बाहर निकला, श्रमिकों की निकासी के दौरान का पूरा लेखा, किसी भी ऐसे मुद्दे को सही पाने के लिए बनाई योजना) Section I: Fire Safety - (c) Aisles, Exits and Evacuation Plan खंड I: अग्नि सुरक्षा - (सी), बाहर निकलने के गलियारे और निकासी योजना Emergency exits must be unlocked during working hours so workers may exit during 13 emergencies आपात स्थिति के दौरान हो सकता श्रमिकों आपात कालीन दरवाजे से बाहर निकलें इसलिए काम के घंटे के दौरान आपातकालीन दरवाजा खुला होना चाहिए। Factory must have enough exits must safely serve the number of workers and the height and 14 type of building or structure फैक्टरी में सुरक्षा की दृष्टि से श्रमिकों की संख्या और भवन की ऊँचाई और संरचना के प्रकार के अनुसार बाहर निकलने के पर्याप्त रास्ते होने चाहिए 15 Aisles and exits must be kept clear and unblocked at all times बाहर गलियारे और रास्ते सभी समय पर स्पष्ट और बिना ताले के रखे जाना चाहिए 16 All Exit doors must open outward (in the direction of the way out of the building). They must require no special operation सभी बाहर जाने वाले दरवाजे बाहर की ओर खुलने चाहिए (इमारत के बाहर की दिशा की ओर)। उन्हें खोलने के लिए

कोई विशेष पेशकश की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।



| 17 | Exit doors must be at least 81 cm (32") wide |
|------|--|
| 16 | बाहर निकलने वाले दरवाजे में कम से कम 81 सेमी (32) चौड़े होना चाहिए। |
| 18 | Exit routes must be at least 91 cm (36 in) wide |
| | निकास मार्गों को कम से कम 91 सेमी (36 में) चौड़ा होना चाहिए। |
| 19 | Aisles must be at least 91 cm (36 in) wide |
| | गलियारे कम से कम 91 सेमी (36 में) चौड़े होना चाहिए। |
| 20 | All signs and markings must be in a language(s) that can be understood by all workers. |
| | Lettering must be at least 15 cm (6 in) high, brightly colored, contrasting with surrounding surfaces, illuminated to make them more visible |
| | सभी लक्षणों और चिह्नों को सभी कार्यकर्ताओं द्वारा समझा जाए इसलिए उन्हें स्थानीय भाषा ;एँद्ध में होना चाहिए। शब्द कम से कम 15 सेमी (6 में) बड़े, चमकीले रंगों में हों, साफ दिखाई देने के लिए उन्हें आसपास की सतहों से उंचे स्थान पर, टांगना चाहिए। |
| 21 | Any door, aisle, or stairway that is NOT an exit or does NOT lead to an exit and may be |
| 1 | mistaken for an exit shall be posted with a sign that reads "NO EXIT." |
| | कोई भी दरवाजे,गलियारे, या सीढ़ी जो कि बाहर नहीं।निकलने के लिए हैं उस पर कोई भी गलती से बाहर निकलने के लिए बढ़ सकता है इसलिए वहां यह निकास द्वार नहीं है का संकेत लगाना आवश्यक है। |
| 22 | An assembly area must be assigned outside the factory so that evacuated workers can be accounted for in an emergency |
| 6 | कारखाने के बाहर एक सभा क्षेत्र बनाया जाना चाहिए ताकि एक आपात स्थिति में कारखाने को खाली करने की स्थिति में श्रमिक वहां इकट्ठा हो सकें।। |
| 23 | Factory must have an emergency evacuation plan, and evacuation routes must be posted in each work area |
| N | फैक्टरी की एक आपातकालीन निकास योजना होनी चाहिए, और प्रत्येक कार्य क्षेत्र में निकास मार्गों को वनाया जाना चाहिए। |
| | Section II: First Aid - (a) First-Aid Boxes |
| | खंड II: प्राथमिक चिकित्सा — (ए) प्राथमिक सहायता बक्से |
| 2.1 | Federal description of the control o |
| 24 | Factory must provide at least one first-aid kit per 100 workers फैक्टरी को प्रति 100 श्रमिकों में कम से कम एक प्राथमिक चिकित्सा किट प्रदान करना होगा |
| 0.7 | |
| 25 | First-aid kits must be fully stocked with the appropriate items |
| 1// | प्राथमिक चिकित्सा किट उपयुक्त मदों के साथ पूरी तरह से भरा होना चाहिए |
| 1//2 | प्राथामक ग्वाकत्सा किट उपयुक्त मदा के साथ पूरा तरह से मरा हाना चाहिए |

Section II: First Aid - (b) Training, Records and Procedures खंड II: प्राथमिक चिकित्सा — (बी) प्रशिक्षण, रिकॉर्ड्स और प्रक्रियाएँ

- 26 Factory must have written procedures to treat workers needing first aid फैक्टरी में श्रीमेकों के प्राथमिक उपचार की जरूरत के अनुसार इलाज की प्रक्रियाओं के लिए लिखा होना चाहिए।
- For all factories with fewer than 500 workers, at least 1% of the workforce must be trained in first aid

सभी कारखानों में जहां 500 से कम कर्मचारियों हों उनके लिए, कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कम से कम 1 प्रतिशत को प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण देना चाहिए।

First-aid training should be documented. Certificates should be given to workers who successfully complete the first aid course

प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण का पूरी तरह दस्तावेज होना चाहिए। जो श्रमिकों सफलतापूर्वक प्राथमिक सहायता कोर्स को पूरे उनको करने के लिए प्रमाण पत्र दिया जाना चाहिए।

29 Factory must maintain up-to-date written records of injuries, including minor injuries. These records must include a description of circumstances, injuries and treatment कारखाने में मामूली चोटों सहित चोटों का लिखित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। इन रिकॉर्ड्स में चोटों और उपचार परिस्थितियों का वर्णन शामिल करना चाहिए।

Section III: Electrical Safety and Training खंड III: विद्युत सुरक्षा और प्रशिक्षण

- 30 All electrical wires must be properly insulated सभी बिजली के तार ठीक से विद्युतरोधित होना चाहिए।
- 31 All electrical junction boxes must be covered सभी विद्युत जंक्शन बॉक्स को ढका हुआ होना चाहिए
- 32 Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI) is used in areas where moisture is present or humidity is high

ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंद्रप्टर (GFCI) जहां नमी मौजूद है या उच्च आर्द्रता है उन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है।

- 33 All electrical connectors must be in good condition सभी विद्युत संयोजित्र अच्छी हालत में होना चाहिए
- All electrical equipment must be properly grounded सभी विद्युत उपकरण ठीक से ग्राउंडेड होना चाहिए



| 35 | All electrical panels must be properly labeled |
|------|---|
| 16 | सभी विद्युत पैनल ठीक से लेबल किया जाना चाहिए। |
| 36 | Electrical panels should always be closed and locked. Keys for electrical panels should be kept |
| 11 | in a centralized area and made available only to authorized personnel |
| | विद्युत पैनलों हमेशा बंद हो और तालाबंद होना चाहिए। विद्युत पैनलों के लिए कुंजियाँ एक केंद्रीकृत क्षेत्र में रखा होना |
| | चाहिए और जिसे केवल अधिकृत कर्मियों के लिए उपलब्ध किया जाऐ। |
| 37 | Provide maintenance workers with electrical safety training at regular intervals |
| A | रखरखाव कार्यकर्ताओं को नियमित अंतराल पर विद्युत सुरक्षा प्रशिक्षण प्रदान की जाए। |
| | Section IV: Machine Guarding and Training |
| | खंड IV: मशीन की रखवाली और प्रशिक्षण |
| 38 | All machinery with exposed, moving, mechanical parts must be equipped with safety devices. |
| W | For these parts, all required protective guards must be in place |
| 15 | राभी मशीनों को यांत्रिक भागों के साथ दृष्टिमान,चलायमान और सुरक्षा उपकरणों के साथ सुराज्जित किया जाना |
| E s | चाहिए। इन भागों के लिए आवश्यक सुरक्षा गार्ड सभी जगह में होना चाहिए। |
| 39 | Factory must assess the hazards of new and existing equipment to determine whether existing |
| W | guards are effective in protecting workers, or if other machine guards should be added to |
| | control hazards |
| | फैक्टरी को नए और मौजूदा उपकरणों के खतरों का आकलन करना होगा चाहे मौजूदा गार्ड कामगारों की रक्षा करने में प्रभावी रहे हों, या यदि अन्य मशीन गार्ड खतरों को नियंत्रित करने के लिए जोड़ा जाना चाहिए। |
| 40 | |
| 40 | Workers must be given machine guarding safety training on the machines they operate श्रमिक जिस मशीन की रखवाली कर रहे हों उन्हें उस मशीन की सुरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। |
| | श्रामक जिस्त में राम प्रमारिक्षपाला कर रहे है। उन्हें उस मेराम का सुरक्षा का प्राराद्धण दिया जामा बाहिए। |
| | Section V: Chemical Safety and Training |
| | खंड V: रासायनिक सुरक्षा और प्रशिक्षण |
| 41 | Chemicals must be stored and used in designated areas which are well ventilated |
| N. | रसायनों को उन स्थानों पर संग्रहीत करना चाहिए और जो अच्छी तरह हवादार हैं और उन्हें निर्दिष्ट क्षेत्रों में प्रयोग |
| 116 | किया जाना चाहिए। |
| 42 | Chemical storage areas must have the following safety features: |
| 1 | रासायनिक संग्रहण क्षेत्रों में निम्न सुरक्षा विशेषताएं होनी चाहिएः |
| 3 1 | • Safety shower/eye wash nearby, within a 10 second walk |
| 1974 | • सुरक्षा शावर / नेत्र धोने के लिए सुविधा इतने पास हो कि 10 सेकंड के अंदर यह सुविधा उपलब्ध हो सके। |

- Spill kits with materials for containment and absorption
- प्रदूषण और उसके अवशोषणकी रोकथाम के लिए किट सामग्री के साथ होनी चाहिए।
- Fire-fighting equipment, fire hoses and/or fire extinguishers
- आग से लड़ने के उपकरण, अग्निघर और आग बुझाने के उपकरण होने चाहिए।
- Signs indicating PPE required to work in area
- कार्यस्थल के पीपीई क्षेत्र में आवश्यक संकेत चिन्ह होने चाहिए।
- Secondary containment, with the capacity to hold 110% of the largest volume
- द्वितीयक रोकथाम की सबसे बड़ी मात्रा 110 प्रतिशत पकड़ क्षमता के साथ होनी चाहिए।
- Employees who work with chemicals must be provided with appropriate face and body protection (such as respirators, safety glasses, gloves or clothing) as specified in the MSDS and training in proper chemical handling and emergency procedures कर्मचारी जो रसायनों के साथ काम करता हो वह उपयुक्त तरीके से अपना चेहरा और शरीर का बचाव करे (जैसे श्वास यंत्र, सुरक्षा चश्मा, दस्ताने या वस्त्र) जो एमएसडीएस में निर्देशानुसार हो और आपातकालीन प्रक्रियाओं उचित रासायनिक हैंडलिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
- Chemicals and chemical containers should be disposed of properly and in accordance with all legal requirements

रसायनों और रासायनिक कंटेनरों का ठीक से और सभी कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।

- 45 All chemicals must be labeled in the local language of the worker सभी रसायनों को कार्यकर्ताओं की स्थानीय भाषा में लेबल किया जाना चाहिए।
- 46 Material Safety Data Sheets must be kept on site, available in the language(s) spoken by workers

सुरक्षा डाटा शीट की सामग्री, श्रमिकों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं में उपलब्ध साइट पर रखी जाना चाहिए।

- 47 Ventilation system must be provided in all chemical storage areas वेंटिलेशन सिस्टम सभी रासायनिक संग्रहण क्षेत्रों में प्रदान किया जाना चाहिए।
- Chemical mixing must take place in a well-ventilated or open area, using appropriate personal protective equipment

रासायनिक मिश्रण उचित और अच्छी तरह हवादार या खुले क्षेत्र में करना चाहिए,ऐसा करते समय व्यक्तिगत सावधानी अपनानी चाहिए।

- Chemical containers should not be stacked any higher than three (3) meters. Chemical drums should always be stacked with the closure device upward. Drums should be stacked fewer than four (4) drums high, preferably with pallets between layers
 - रासायनिक कंटेनरों को तीन (3) मीटर की उपर की उंचाई तक खड़ा करके संग्रहित नहीं करना चाहिए। रासायनिक इम हमेशा बंद करने के ढक्कन के साथ ऊपर की ओर खड़ा रखना चाहिए। ड्रमों को कम से कम चार (4) ड्रमों की उंचाई तक एक के वाद एक खड़े करने चाहिए।



Section VI: PPE and Training खंड VI: पीपीई और प्रशिक्षण

- 50 Factory must provide suitable Personal Protective Equipment (PPE) for the hazards identified फैक्टरी खतरों की पहचान के लिए उपयुक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) प्रदान करना होगा
- Factory should train workers who are required to wear personal protective equipment on when the equipment is necessary, what equipment is necessary (and required), how to use and adjust the equipment, limitations of the equipment, and proper care and maintenance of the equipment

कारखानों द्वारा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना आवश्यक है,जो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहनते हैं कौन सा उपकरण आवश्यकहैं (और किसकी जरुरत हैं), उसका कैस उपयोग करें और उपकरणों को कैंसे समायोजित करें, उपकरण की सीमाएं, और उपकरणों के रखरखाव तथा उचित देखभाल

Section VII: Signs and Signals खंड VII: लक्षण और संकेत

- 52 Factory must establish a procedure for using signs and labels to communicate workplace hazards कारखाने को कार्यस्थल पर खतरों के संकेत और लेबल्स के उपयोग के लिए एक कार्यविधि स्थापित करनी होगी।
- Workers must be trained to recognize and understand the meaning of the hazard warning signs and labels in use at the factory
 - कारखाने में श्रमिक खतरों की चेतावनी के संकेतों को पहचानने और लेबल का अर्थ समझ कर उपयोग में लाने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।
- Factories must ensure there are an adequate number of signs and labels to communicate hazards. In addition, signs and labels must be:

कारखानों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ एक पर्याप्त संख्या में संकेत हैं और उनके लेबल्स खतरों की चेतावनी दे रहे हैं इसलिए संकेत और लेबल को होना चाहिए:

- Displayed clearly
- स्पष्ट रूप से प्रदर्शित
- Large enough to be visible to those intended to see them
- •बडे पर्याप्त तौर पर उसे लोगों द्वारा देखा जा सके
- Written in a lanuage (s) that can be understood by all workers
- •सभी कार्यकर्ताओं द्वारा समझी जाने वाली भाषा में हो
- \bullet Constructed so they resist corrosion and weather effects
- जंग का सामना और मौसम से अप्रभावित होने वाली सामग्री से बने हो

| | Section VIII: Housekeeping |
|-----|---|
| | खंड VIII: गृह व्यवस्था |
| 55 | Factory must ensure there are no lint deposits |
| 4 | कारखाने को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहाँ रोएं जमा ना हो रहे हैं। |
| 56 | First-aid kits must be fully stocked with the appropriate items |
| 11 | प्राथमिक चिकित्सा किट उपयुक्त सामग्री के साथ पूरी तरह से भरा होना चाहिए |
| | Section IX: Health and Safety Committee |
| | खंड IX: स्वास्थ्य और सुरक्षा समिति |
| 57 | Factory must have active safety committees |
| 2) | फैक्टरी में सक्रिय सुरक्षा समितियों होनी चाहिए। |
| 58 | Safety committees must meet at least once per month, and more often if needed |
| | सुरक्षा समितियों की बैठक कम से कम एक बार प्रति माह होनी चाहिए, और आवश्यक हो तो उससे अधिक |
| | बार भी होनी चाहिए। |
| 59 | Safety committees must include management representatives, workers from various factory |
| 18 | operations, and union representatives |
| | सुरक्षा समितियों में प्रबंधन प्रतिनिधियों, विभिन्न कारखाना संचालन करने वाले कार्यकर्ताओं और यूनियन के |
| | प्रतिनिधियों को शामिल करना चाहिए। |
| 60 | A written record of the safety committee meetings must be agreed upon by the committee |
| | leaders, posted in a workplace location for factory workers to read, and kept on file for a |
| | minimum of five (5) years |
| -6 | सुरक्षा समिति की बैठकों के लिखित रिकॉर्ड को समिति के नेताओं, द्वारा कार्यस्थल के कर्मचारियों को पढ़ने |
| 100 | के लिए डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए, और रिकॉर्ड को कम से कम, पाँच (5) साल के लिए संग्रहित किया |
| 11 | जाना चाहिए। |
| | Section X: Health and Safety Documents |
| | खंड X: स्वास्थ्य और सुरक्षा दस्तावेज |
| 61 | Factory must obtain Drinking Water Potability Test Report from a Competent third party agency |
| | फैक्टरी को एक सक्षम तृतीय पक्ष एजेंसी से पीने के पानी की शुद्धता टेस्ट रिपोर्ट प्राप्त करना होगा |
| 197 | |



- Air Quality Analysis Report (DG Set, Boiler, compressor, Production area) by a competent third party agency

 एक सक्षम तीसरी पार्टी एजेंसी द्वारा वायु गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट (डीजी सेट, बॉयलर, कंप्रेसर, उत्पादन क्षेत्री
 - एक सक्षम तीसरी पार्टी एजेंसी द्वारा वायु गुणवत्ता विश्लेषण रिपोर्ट (डीजी सेट, बॉयलर, कंप्रेसर, उत्पादन क्षेत्री की) लेनी होगी।
- 63 Noise Monitoring Testing Report (DG Set, Compressor, computer embroidery area, Production area)
 शोर निरीक्षण परीक्षण रिपोर्ट (डीजी सेट, कंप्रेसर, कंप्यूटर कढ़ाई क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र) लेनी होगी
- 64 Valid Stack Emission Report for DG Sets डीजी सेट के लिए मान्य स्टैक उत्सर्जन रिपोर्ट लेनी होगी।
- Comprehensive Medical test reports (Blood, Stool, Urine, Chest and Lungs test reports and chest X ray(Respiratory Analysis) for workers exposed to hazardous operations (DG set operator/Pantry worker/Chemical handling, etc) व्यापक चिकित्सा परीक्षण रिपोर्ट (रक्त, मल, मूत्र, छाती और फेफड़ों के टेस्ट रिपोर्टों और चेस्ट एक्स रे (रेस्पीरेटरी एनालिसिस) खतरनाक संचालन करने के लिए वहां काम कर रहे कामगारों के लिए (डीजी सेट ऑपरेटर / पेंट्री कार्यकर्ता/रासायनिक हैंडलिंग, आदि) लेनी होगी।
- Audiometric test reports for workers exposed to excessive noise (DG Set operators, Boiler Operator, Computer Embroidery Operators, etc)
 अत्यधिक शोर के संपर्क में आने वाले कामगारों के लिए।ऑडियोमेट्रिक परीक्षण रिपोर्ट (डीजी सेट ऑपरेटरों, बॉयलर ऑपरेटर, कंप्यूटर कढ़ाई ऑपरेटरों, आदि) लेनी होगी।
- 67 Installation/Commission certificates to be given by the state electricity board for DG Set, Boiler स्थापना / आयोग राज्य विजली वोर्ड से डीजी सेट, वॉयलर के लिए दिए जाने वाला प्रमाण पत्र लेना होगा।
- 68 Valid Inspection report for Boiler, Compressor, Lift, DG Set बॉयलर, कंप्रेसर, एलीवेटर, डीजी सेट के लिए मान्य निरीक्षण रिपोर्ट लेनी होगी।

SUGGESTED CHECKLIST ON WAGES AND COMPENSATION मजदूरी और मुआवजे के लिए सुझाई गई जांच सूची

Section I: Wages खण्डः I मजदूरी

1 Factory must provide minimum wages or higher to all workers फैक्टरी को सभी कार्यकर्ताओं को न्यूनतम या उच्चतर मजदूरी प्रदान करना होगा।

- Factory must ensure that minimum wages paid are in accordance with the skill category of the workers
 - कारखाने को सुनिश्चित करना चाहिए कि इस न्यूनतम मजदूरी का भुगतान कामगारों के कौशल श्रेणी के अनुसार कर रहे हैं।
- Factory must pay on or before 7th of every month (in case the total strength is less than 1000) and on or before 10th of every month (in case the total strength is more than 1000)
 - फैक्टरी को चाहिए कि वह हर महीने की 7 वीं से पहले। (कम से कम 1000 कर्मचारियों की संख्या होने के मामले में)भुगतान करे या हर माह की 10 वीं से पहले (1000 से अधिक कर्मवारी संख्या होन के मामले में) भुगतान करे।
- Wages must be provided in current currency note/coins or by cheque or by crediting the wages in worker's bank account
 - मजदूरी वर्तमान मुद्रा में नोट या सिक्कों में या चेक से या कार्यकर्ता के वैंक खाते में श्रमिकों के बैंक एकाउंट द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
- 5 Overtime wages must be provided to workers who work overtime hours मजदूरी श्रमिकों ओवर टाइम के घंटे में काम करने के लिए ओवरटाइम राशि प्रदान की जानी चाहिए।
- Overtime wages must be compensated at a premium rate (@ 200% of regular wage rate) ओवर टाइम मजदूरी (@ 200 प्रतिशत की नियमित मजदूरी दर से) एक प्रीमियम दर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए।
- Overtime calculation must be done on the number of actual working days in a month not on the total number of days in the month
 - ओवरटाइम परिकलन महीने में किए गए काम दिनों की कुल संख्या पर किया जाना चाहिए ना कि महीने में वास्तविक कार्य दिवसों की संख्या पर किया जाना चाहिए।
- 8 Factory must provide minimum or higher time rate wages to piece rate workers फैक्टरी को टुकड़ा दर मजदूरों को न्यूनतम और उच्चतम दर से वेतन प्रदान करना चाहिए।
- 9 Contract Workers must be paid in front of a Factory Management Representative ठेके पर नियुक्त श्रमिकों को एक कारखाने के प्रबंधन प्रतिनिधि के सामने भुगतान किया जाना चाहिए।
- Contract workers must be paid on time ठेके पर नियुक्त श्रमिकों को समय पर भुगतान किया जाना चाहिए।
- There should not be any illegal, unauthorized or disciplinary deductions made from wages of workers
 - वहाँ कोई भी अवैध रूप से अनाधिकृत या अनुशासनात्मक कटौतियां श्रमिकों की मजदूरी से नहीं करनी चाहिए



| 12 | There should not be any deductions made from wages of a worker who has not been able to achieve targets allotted to him/her |
|----|---|
| | वहाँ एक मजदूर की मजदूरी से कोई भी कटोती से आवंटित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नहीं की जानी |
| | चाहिए। |
| 13 | Arrear payments must be disbursed to workers completely and on time |
| | एरियर भुगतान श्रमिकों पूरी तरह से और समय पर वितरित होना चाहिए। |
| 14 | Full and Final Payments must be settled in a complete and timely manner |
| | समय पर तरीके से श्रमिकों को पूर्ण और अंतिम भुगतान एक साथ करना चाहिए। |
| 15 | Factory must pay workers who are on trial for all the days of trial |
| | फैक्टरी को उन श्रमिकों को भुगतान करना होगा जो सभी दिनों के लिए परीक्षण पर परीक्षण कर रहे हैं |
| | Section II: Benefits |
| | खण्डः II लाभ |
| 16 | Factory must provide wages to workers during leave periods |
| | फैक्टरी को छुटि्टयों की अवधियों के दौरान श्रमिकों को मजदूरी प्रदान करनी होगी। |
| 17 | Factory must provide Annual leave with wages to the eligible workers |
| | फैक्टरी श्रमिकों को वार्षिक छुट्टियों के साथ मजदूरी प्रदान करनी चाहिए। |
| 18 | Any Earned Leaves accumulated over and above 30 must be encashed to the workers |
| | कोई भी अर्जित छुट्टियों की सं. 30 के उपर संचित होने पर श्रमिकों को भुगतान होना चाहिए। |
| 19 | All the Eligible workers must be covered under Employee Provident Fund Scheme |
| | सभी योग्य कार्यकर्ता कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए। |
| 20 | All the Eligible workers must be covered under the Employee State Insurance Scheme |
| | सभी पात्र कार्यकर्ता कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत कवर किया जाना चाहिए। |
| 21 | Factory ensuring that all the workers have a bank account so that any ESI remittance or the |
| | EPF refund can be deposited in the workers account |
| | सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी कामगारों एक बैंक खाता हो ताकि कारखाने किसी भी ईएसआई प्रेषण या |
| | ईपीएफ राशि श्रमिकों के खाते में जमा हो सकें i |
| 22 | In case the Factory is not under a Zone covered by ESI, the Factory must ensure that the |
| | workers are covered under the workers compensation/health insurance scheme |
| | फैक्टरी को ईएसआई द्वारा कवर नहीं किये जाने के मामले में, कारखाने को सुनिश्चित करना होगा कि वह |
| | श्रमिकों के स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत श्रमिकों का मुआवजा कवर कर रहे हैं। |

23 Factory must not bifurcate minimum wages in order to reduce its share of social security benefits कारखाने न्यूनतम मजदूरी को सामाजिक सुरक्षा लाभ के लिए अपना हिस्से को कम करने के लिए दो शाखाओं में बांटना नहीं चाहिए। Factory must deposit ESI and EPF amounts with the concerned departments on time 24 फैक्टरी को ईएसआई और ईपीएफ की राशि विभिन्न विभागों में समय पर जमा करना होगा। 25 There must not be any evidence that the workers shown on monthly salaried workers are actually pc rated workers or vice versa and shown on exaggerated salaried so that the principle employer does not have to pay the social security benefits as per law वहाँ कोई सबूत नहीं है कि श्रमिकों को मासिक वेतनभोगी श्रमिकों की तरह दिखाए जाए, वास्तव में प्रति टुकड़ा कामगारों की स्थिति उस के ठीक विपरीत है इसलिए मुख्य नियोक्ता कानूनी तौर पर सामाजिक सुरक्षा लाभ का भूगतान करने के लिए बाध्य नहीं है। 26 Working on National/Festive Holidays must be compensated at a premium rate राष्ट्रीय त्योहार की छुट्टियों पर काम कर रहे श्रमिकों को एक प्रीमियम दर पर मुआवजा दिया जाना चाहिए। 27 All the Eligible workers (On roll, On Contract) must be entitled to "Bonus" payments (ऑन रोल, अनुवंध पर) सभी योग्य श्रमिकों को 'बोनस ' भुगतान के लिए हकदार होना चाहिए 28 Maternity Benefits must be provided to Eligible Women Workers मातृत्व लाभ इसके योग्य महिला श्रमिकों के लिए उपलब्ध कराया जाना चाहिए। 29 Factory must provide Gratuity Benefits to all Eligible workers फीक्टरी को चाहिए कि ग्रेच्युटी लाभ सभी योग्य श्रमिकों को दे। Section III: Documentation खण्डः III प्रलेखन 30 Factory must have a written Wage Policy फैक्टरी की लिखित मजदूरी नीति होनी चाहिए। Factory must clearly mention wages and other benefits to be provided to the workers in the 31 Appointment Letter फैक्टरी को स्पष्ट रूप से नियुक्ति पत्र में कामगारों के लिए मजदूरी और अन्य लाभ का उल्लेख करना होगा। Factory must display abstract of relevant laws (Payment of Wages, Minimum Wages act, 32 Payment of Bonus Act, Payment of Gratuity Act, etc) on the Notice Board कारखानों को प्रासंगिक कानुनों (जिसमें भुगतान की मजदुरी, न्युनतम पारिश्रमिक अधिनियम, बोनस अधिनियम, ग्रेच्युटी का भुगतान अधिनियम, आदि के भुगतान) को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहिए।



- Appropriate Payroll records, Muster Roll records, Leave records, Bonus Records and other relevant records must be maintained by the Factory for all On-Roll and Contract workers सभी ऑन रोल और अनुबंध श्रमिकों के उपयुक्त पे रोल रिकॉर्ड्स, मस्टर रोल रिकॉर्ड्स, छुट्टियों के रिकॉर्ड्स, बोनस रिकॉर्ड्स और अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड् को कारखाने में रखा जाना चाहिए।
- 34 There must not be any discrepancy between wage records, muster roll records, leave records, time records, other relevant records and worker interviews वहाँ मजदूरी रिकॉर्ड्स, मस्ट रोल रिकॉर्ड्स, छुट्टियों के रिकॉर्ड्स, समय रिकॉर्ड्स, अन्य प्रासंगिक रिकॉर्ड और कार्यकर्ता के साक्षात्कार के वीच कोई भी विसंगति नहीं होना चाहिए।
- 35 All workers must be provided with a Pay Slip in the local language
 सभी श्रमिकों को स्थानीय भाषा में एक भृगतान स्लिप के साथ उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

SUGGESTED CHECKLIST ON HOURS OF WORK काम के घंटों के लिए सुझाए गई जांचसूची

Section I: Restriction on Hours of Work – Regular Hours खंड I: काम—के नियमित घंटों पर प्रतिबंध के घंटे

- No adult worker shall be required to work in the Factory for more than 48 hours a week कोई वयस्क कार्यकर्ता से सप्ताह में 48 घंटे से अधिक के लिए कारखाने में काम करने के लिए आवश्यक नहीं है।
- 2 No adult worker shall be required or allowed to work in a factory for more than nine hours in any day
 - कोई वयस्क कार्यकर्ता कारखाने में नौ घंटे से अधिक काम करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- 3 Working Hours shall be so fixed that no period shall exceed five hours and that no worker shall work for more than five hours before he has had an interval for rest of at least half an hour कोई भी कार्य अवधि पांच घंटे से ज्यादा होनी चाहिए और कोई भी कार्यकर्ता पाँच घंटे से अधिक के लिए काम करेगा तो उसे कम से कम आधे घंटे के आराम का अंतराल देना तय किया जाएगा।
- Work shall not be carried on in any factory by means of a system of shifts so arranged that more than one relay of workers is engaged in work of the same kind at the same time किसी भी कारखाने में काम नहीं किया जा सकता इसका अर्थ है कि पारियों की प्रणाली के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की जाए कि श्रमिक एक से अधिक रिले एक ही समय में एक ही तरह के काम में लगे हुए रहें।

No woman shall be required or allowed to work in any factory except between the hours of 6 Λ .M. and 7 P.M

कोई भी कामगार महिला को सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे के बीच को छोड़कर किसी भी कारखाने में काम करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

Section II: Restriction on Hours of Work – Overtime Hours खंड II: काम के घंटों पर प्रतिबंघ – ओवर टाइम घंटे

Norms for maximum overtime work of 2 hours per day, 12 hours per week and 50 hours per quarter must be respected

मानदंडों के अनुसार ससम्मान ओवरटाइम का समय अधिकतम प्रति दिन, 2 घंटे के लिए,12 घंटे प्रति सप्ताह और प्रति तिमाही 50 घंटे होने चाहिए।

Section III: Policy and Procedures

खंड III: नीति और प्रक्रियाएं

- 7 Factory must have a written policy on "Hours of Work" 'काम के 'घंटे पर' कारखाने के पास लिखित नीति होनी चाहिए।
- 8 Factory must have a policy on Overtime working and Overtime approval procedures फैक्टरी की ओवरटाइम काम कर रहे और ओवरटाइम अनुमोदन प्रक्रियाओं पर एक नीति होनी चाहिए।
- Working hours must be clearly documented in the employment contracts or must be displayed in the factory

काम के घंटो को रोजगार के अनुवंध में स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए या कारखाने में प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

10 Factory must have a system to ensure that Overtime is Voluntary कारखाना में स्वैच्छिक ओवरटाइम सुनिश्चित करने के लिए एक प्रणाली होनी चाहिए।

Section IV: Record Keeping खंड IV: रिकॉर्ड संग्रहण

- 11 Factory must have an effective Time Recording System कारखाना में एक प्रभावी समय रिकॉद्धिग सिस्टम होना आवश्यक है।
- Time cards, swipe cards, palm readers or other forms of time recording must be used by individual workers themselves at the beginning and end of the work shift समय कार्ड, स्वाइप कार्ड, पाम रीडरें या समय रिकॉर्डिंग के अन्य अलग—अलग रूपों का श्रमिकों द्वारा खुद ही काम की पारी के शुरुआत और अंत में उपयोग किया जाना चाहिए।



There must not be any evidence of unaccounted workers or contractors whose names are found in various production documents/parallel muster rolls but there is no document through which their working hours or number of days worked could be verified वहाँ बेहिसाब श्रमिकों या जिनके नाम विभिन्न उत्पादन दस्तावेजों / समानांतर जुटा रोल्स में पाए जाते हैं टेकेदारों के कोई भी सबूत नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ के माध्यम से कोई दस्तावेज है जो उनके काम के घंटे या दिनों की संख्या काम किया सत्यापित किया जा सकता है

There must not be any discrepancy between wage records, muster roll records, leave records, time records and worker interviews
वहाँ मजदूरी रिकॉर्ड्स, जुटा रोल रिकॉर्ड्स, छोड़ दो अभिलेख, समय रिकॉर्ड और कार्यकर्ता साक्षात्कार के बीच किसी भी विसंगति नहीं होना चाहिए।

SUGGESTED RECORDS AND DOCUMENTS TO BE MAINTAINED अमिलेखों और दस्तावेजों को बनाए रखने के लिए सुझाव

| | General |
|-------------|---------------------------|
| | सांविधिक आवश्यकताएं |
| 1 | Factory License |
| | फैक्टरी लाइसेंस |
| 2 | Standing Order |
| स्थायी आदेश | स्थायी आदेश |
| 3 | Accident Register |
| | दुर्घटना रजिस्टर |
| 4 | Minimum Wage Notification |
| | न्यूनतम मजदूरी अधिसूचना |
| 5 | Register of Advances |
| | अग्रिमों का रजिस्टर |
| 6 | Register of Fines |
| | जुर्माना का रजिस्टर |
| 7 | Unclaimed Wages |
| | लावारिस मजदूरी |
| 8. | Deduction of damages |
| | क्षतियों की कटौती |
| 9. | Maternity Benefits |
| | मातृत्व लाभ |

| 10. | Registration Certificate to employ contract workers |
|-----|---|
| | देके के श्रमिकों को रोजगार के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र |
| 11. | Contractor License |
| | ठेके का लाइसेंस |
| 12. | Contract agreement between factory and Contractor |
| | फैक्टरी और ठेकेदार के बीच अनुबंध समझौते |
| 13. | Shift Working Approval |
| | शिफ्ट अनुमोदन कार्य करना |
| 14. | Staggered weekly off Approval from Government (if applicable) |
| | सरकार से अनुमोदित साप्ताहिक बंद स्वीकृति (यदि लागू हो) |
| 15. | NOC from fire authority |
| | आग प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाणपत्र |
| 16. | Pollution control board certificate for Water/ Air |
| | पानी और हवा के लिए प्रदूषण नियंत्रण वोर्ड प्रमाणपत्र |
| 17. | Hazardous waste storage and handling authorization |
| | खतरनाक अपशिष्ट भंडारण और हैंडलिंग प्राधिकरण |
| 18. | Explosive material storage permission |
| | विस्फोटक सामग्री भंडारण की अनुमति |
| 19. | Approved List of National and Festival Holidays |
| | राष्ट्रीय और त्योहार की छुट्टियों की अनुमोदित सूची |
| 20. | Stability Certificate |
| | स्थिरता प्रमाणपत्र |
| | Health, Safety and Environment |
| | स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पर्यावरण |
| 21. | Fire protection equipments service record |
| | आग सुरक्षा उपकरणों के सेवा रिकॉर्ड |
| 22. | Fire Evacuation drill record |
| | आग निकासी ड्रिल रिकॉर्ड |
| 23. | Fire training records |
| | अग्नि प्रशिक्षण रिकॉर्ड |
| 24. | Certificate of workers trained on fire fighting |
| | आग से लड़ने पर प्रशिक्षित कामगारों को प्रमाण पत्र |



25. Evacuation maps in local language स्थानीय भाषा में निकासी का मानचित्र 26. First aid training record प्राथमिक सहायता प्रशिक्षण रिकॉर्ड Certificate of workers trained on first aid 27. प्राथमिक चिकित्सा पर प्रशिक्षित कामगारों का प्रमाण पत्र 28. PPE training records पीपीई प्रशिक्षण रिकॉर्ड्स Health, Safety and Environment meeting minutes 29. स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की वैठक मिनट Minor Injury records 30. मामूली चोट रिकॉर्ड्स First-aid issue records 31. प्राथमिक चिकित्सा मुद्दा रिकॉर्ड्स ATDS awareness program 32. एड्स जागरूकता कार्यक्रम Canteen worker's health certificate 33. केंटीन कर्मचारी का स्वास्थ्य प्रमाणपत्र 34. Drinking water test report पीने के पानी की टेस्ट रिपोर्ट 35. Electrician License बिजली के लिए लाइसेंस Boiler Attendant Competency Certificate 36. बॉयलर अटेंडेंट सक्षमता प्रमाणपत्र Boiler Certificate 37. बॉयलर प्रमाण पत्र Generator Installation Certificate 38. जनरेटर स्थापना प्रमाणपत्र 39. Noise Level monitoring reports शोर के स्तर की निगरानी की रिपोर्ट 40. Stack Emissions monitoring for boilers and DG sets ढेर सारे उत्सर्जन के लिए बॉयलर और डीजी सेट की निगरानी

Material Safety Data Sheet (MSDS) for chemicals 41. रसायन के लिए सुरक्षा सामग्री डाटा शीट (एमएसडीएस) Waste Inventory records 42. अपशिष्ट सूची रिकॉर्ड Layout of drainage/ETP Plant 43. जल निकासी का लेआउट / ईटीपी संयंत्र **Environmental Policy** 44. पर्यावरणीय नीति Time, Wages and Benefits समय, वेतन और लाभ 45. PF payment remittance Challans पीएफ भुगतान विप्रेषण विवरणी Form 5-Returns of contribution 46. फॉर्म 5—अंशदान का रिटर्न ESI payment remittance challans 49. ईएसआई भुगतान विप्रेषण विवरणी Bonus records 50. बोनस रिकॉर्डस Annual Leave records 51. वार्षिक छुट्टी अभिलेख Full & Final Settlement 52. पूर्ण - अंतिम निपटान Payroll (Wage records) 53. पेरोल (मजदूरी रिकॉर्ड) Time in/out records 54. आने और जाने के समय का रिकॉर्ड 55. Pay slips वेतन की रसीद Group/medical Insurance for ESI exempted workers 56. ईएसआई की सुविधा न मिलने वाले कर्मचारियों को समूह / चिकित्सा बीमा



Production Records उत्पादन रिकॉर्ड

- 57. Material Inward & Outward record from December 2011 to till date भीतरी और बाहरी तौर पर उत्पादित सामग्री का दिसंबर 2011 से आज के दिन तक का रिकॉर्ड
- 58. Material issue and receive records सामग्री पाने का जारी करने का रिकॉर्ड
- 59. Inspection reports जांच रिपोर्ट
- 60. Daily packing records प्रतिदिन की पैकिंग रिकॉर्ड
- 61. Machine maintenance records मशीन की देखभाल का रिकॉर्ड

Others

अन्य

- 62. List of subcontractors उपठेकेदारों की सूची
- 63. Sexual Harassment prevention committee शारीरिक शोषण को रोकने वाली समिति
- 64. Grievance redressal committee जांच एवं शिकायत कमेटी
- 65. Canteen Committee (if applicable) कैटीन कमेटी (अगर आवश्यक हो)
- 66. Works Committee कामगार कमेटी
- 67. Welfare officer committee (if applicable) ऑफिसर वेलफेयर कमेटी (यदि आवश्यक हुई तो)
- 68. Safety Officer (if applicable) सुरक्षा ऑफिसर (यदि आवश्यक हुआ तो)
- 69. Trained Nurse Assistant प्रशिक्षित सहायक नर्स

И

EXAMPLES OF BEST PRACTICES

सबसे बढिया आचरण के उदाहरण



Notice Board- Important events, Policies/ Abstracts of Laws नोटिस बोर्ड – महत्वपूर्ण दिन, नीतियां और कानूनों का सार



Electronic time recording machine इलेक्ट्रॉानिक टाइम रिकॉर्डिंग मशीन



Approved Work Timings कार्य का मान्य समय



Information on Fire Extinguishers उचित अग्निशमनयंत्र को चुनने में सहायता





Display of Instructions/ Rules संरचना / नियमों का प्रदर्शन

| <u>अवधि</u> 4 | मजदूर। आधानमा । गरियोकी देय प्रतिमाह - -कुतम मजदूरी प्रतिमाह | Loboth | |
|------------------|--|----------|--|
| | 3 | 1/2 | |
| 1-10-2011 | 4303.45 | अक्शल | |
| 17 | 1/205/93 | ग्रहेकशत | |
| iii | 544652 | ग्राल | |

Display of Wage Rates as Per Skill Level प्रत्येक कुशल स्तर के आधार पर तय वेतनमान की सूची





Display of Members in Health & Safety Committee स्वास्थ्य और सुरक्षा कमेटी के सदस्य



Display of Members in Sexual Harassment Prevention and Works Committee/ Display of First-Aid Trained Personnel

शारीरिक शोषण रोकथाम और कामगार कमेटी के सदस्यों की सूची / प्रथम चिकित्सा प्रशिक्षित सदस्यों की सूची



Fully Equipped First-Aid Box at Shop Floor शॉप फ्लोर पर पूरी तरह भरी प्राथमिक चिकित्सा किट



Suggestion/ Grievance Box शिकायत एवं सुझाव पेटी



Emergency Light/ Exit Opening Outwards आपातकालीन लाइट / निकास मार्ग



Fire-Fighting Equipment अग्निशमन यंत्र


हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्



Evacuation Plan Display निकासी योजना प्रदर्शन



Instructions for Use of Fire Extinguisher अग्निशमन यंत्र को उपयोग करने के निर्देश



Instructions on Special Security Area and Restricted Areas विशिष्ट सुरक्षा क्षेत्रों और निषिद्व क्षेत्रों के लिए निर्देश



First-Aid Instructions Display प्राथमिक चिकित्सा निर्देश का प्रदर्शन



Emergency Assembly Area Displayed आपातकालीन एकत्रित स्थान प्रदर्शन



Emergency Fire Alarm Point आपातकालीन फायर अलार्म बिन्दु





Mesh Gloves Used by Cutting Operator कटिंग ऑपरेटर द्वारा मैश दस्तानों का उपयोग



Gloves and Face Masks Used by Glue Sticking Workers ग्लू लगाने वाले कर्मचारियों द्वारा दस्ताने और फेस मास्क का उपयोग



PPE's Used By Worker कर्मचारी द्वारा पीपीई का उपयोग



PPE Used By Workers कर्मचारी द्वारा पीपीई का उपयोग




Material Safety Data Sheet सामग्री सुरक्षा डेटा शीट



Chemical Storage Area- Caution Signage, Fire Extinguisher Nearby रसायन संग्रहण क्षेत्र — चेतावनी संकेत, अग्निशमन यंत्र

Chapter - III अध्याय - III









Notable International Regulations For Handicrafts Exporters हस्तशिल्प निर्यातकों के लिए उल्लेखनीय अंतरराष्ट्रीय विनियम

EU Timber Regulation

Since March 2013 the requirements of the EU Timber Regulation has come into force. This new

legislation prohibits placing timber on the EU market if it was illegally harvested. To achieve this, it sets out procedures which those trading



EU timber regulation

timber within the EU must put in place to minimize the risk of illegal timber being sold.

यूरोपीय संघ इमारती लकड़ी विनियम

मार्च 2013 के बाद से युरोपीय संघ इमारती लकड़ी विनियम की आवश्यकताओं को देखते हुए

> इसे लागू किया गया है। यह नया कानून इमारती लकडी को अवैध तरीके से काटने पर युरोपीय संघ के बाजार पर प्रतिवंध लगाता है। अवैध तरीके से यूरोपीय संघ के भीतर

लकडियों को काटकर बेचने के खतरों को रोकने की प्रक्रियाओं के लक्ष्य को हासिल करने के लिए, इसे बनाया गया हैं।

Vriksh

An indigenous Certification of Due Diligence regarding procurement of wood from legal

sources helps in providing certification based on the standards formulated

keeping in view the challenges faced by the wooden handicrafts exporters. Vriksh certification ensures that products come from

well managed forests that provide environmental, social and economic benefits and the

wooden handicrafts are made from

legally harvested timber. Export Promotion Council for Handicrafts has been

nominated by DGFT as the nodal agency to

वृक्ष

RIKSH

एक स्वदेशी प्रमाणपत्र के स्थान पर कानूनी स्रोतों से लकड़ी के संबंध में तैयार किए मानकों पर आधारित प्रमाण प्रदान करने में

मदद करता है जहां लकड़ी के हस्तशिल्प

निर्यातकों को चुनौतियों का सामना करना

पड़ता है। वृक्ष प्रमाणपत्र सुनिश्चित करता है कि लकड़ी के बनने वाले उत्पाद प्रबंधित जंगलों से लाए गए हैं जो कि पर्यावरण, सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करते हैं और उन्हें

कानुनी तौर पर काटी गई इमारती लकडी से बनाया गया है। हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन

परिषद जिसे डीजीएफटी द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में

विदेशी खरीदारों या किसी अन्य एजेंसी द्वारा कानूनी स्रोतों से

provide certificate on due diligence in procuring wood from legal sources in case of request made by the foreign buyers or any other agency.

लकड़ी की खरीद के मामले में किए गए अनुरोध पर प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए नामजद किया गया है।

The Oeko Tex Certificate

The Oeko-Tex certificate is limited to companies in the textile and clothing industry and gives proof of the human and ecological

safety of textiles. The tests for harmful substances are based on a test catalogue which includes the list of mandatory tests according to Oeko-Tex and the limit values of substances used in the

production of textiles. When the Oeko-Tex certificate is issued by the relevant institute or certifying body, it confirms that the requirements of the Oeko-Tex Standard 100 and of a common product class have been successfully tested.

The U.S Lacey Act

On May 22, 2008, the U.S. Congress passed a groundbreaking law banning commerce in illegally sourced plants and their products

including timber and wood products. Now the Lacey Act sets a groundbreaking precedent for the global trade in plants and plant products,



इको टेक्स प्रमाणपत्र

TESTEX Zurich

इको-टेक्स प्रमाणपत्र कपडा और वस्त्र उद्योग की कंपनियों के लिए सीमित है और वस्त्र बनाने में मानवीयता तथा

पारिस्थितिक सुरक्षा का सबूत

देता है। हानिकारक पदार्थों के लिए परीक्षण अनिवार्य परीक्षणों की सूची और इस्तेमाल किया पदार्थों की सीमा मृल्यों पर आधारित हैं जिसमें वस्त्रों के उत्पादन में शामिल इको-टेक्स के

अनुसार अनिवार्य परीक्षा सुचीपत्र

हैं। जब इको-टेस्ट सर्टिफिकेट प्रासंगिक संस्थान द्वारा जारी किया जाता है, तो वह यह पष्टि करता है कि इको-टेस्ट की आवश्यकताएं मानक 100 के स्तर की हैं और एक सामान्य उत्पाद वर्ग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है।

अमेरिका का लेसी अधिनियम

22 मई 2008 को अमेरिकी कांग्रेस ने लकड़ी और लकड़ी के उत्पादों सहित पौधों और उनके उत्पादों के अवैध रूप से निकासी के व्यवसाय पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण

> कानुन पारित किया। अव लेसी अधिनियम ने अन्य देशों द्वारा अपने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने के प्रयासों को स्वीकार करने और समर्थन देने तथा इन





acknowledging and supporting other countries' efforts to govern their own natural resources and putting in place powerful incentives for companies trading in these commodities to do the same. This legislation requires importers to declare the country of origin of harvest and species name of all plants contained in their products.

वस्तुओं का व्यापार करने वाली कंपनियों के लिए ऐसा ही करने पर मजबूत प्रोत्साहन निर्धारित करने के द्वारा, पौधों और उनके उत्पादों के वैश्विक व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित किया है। इस अधिनियम के अनुसार आयातकों को उनके उत्पादों में समाहित सभी पौधों की फसल और प्रजातियों के मूल के देशों के नाम को घोषित करना आवश्यक है।

REACH

REACH is the Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. It entered into force on 1st June 2007. It streamlines and improves the former legislative framework on chemicals of the European Union (EU). The main aims of REACH are to ensure a high level of protection of human health and the

environment from the risks that can be posed by chemicals, the promotion of alternative test methods, the free circulation of substances on the internal market and c n h a n c i n g competitiveness and

innovation. REACH makes industry responsible for assessing and managing the risks posed by chemicals and providing appropriate safety information to their users. In parallel, the European Union can take additional measures on highly dangerous substances, where there is a need for complementing action at EU level.

रीच (आरईएसीएच)

रीच (आरईएसीएच) रसायनों के पंजीकरण, मूल्यांकन, प्राधिकार और प्रतिबंध पर निर्मित विनियम है। यह 1 जून 2007 रो प्रभावी हुआ। यह यूरोपीय रांघ (ईयू) के रसायनों पर बने पूर्व विधायी ढांचे में सुधार करता है और उसे सुव्यवस्थित करता है। रीच के मुख्य उद्देश्य हैं रसायनों से उत्पन्न हो सकने वाले जोखिम से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण के संरक्षण के एक

उच्च स्तर को सुनिश्चित करना, परीक्षण के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देना, आंतरिक बाजार में पदार्थों के मुक्त संचलन और प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहित करना। रीच

उद्योग को रसायनों से उत्पन्न खतरों का आकलन करने और प्रबंधन करने के लिए जिम्मेदार बनाता है और उनके उपयोगकर्ताओं के लिए उपयुक्त सुरक्षा जानकारी पदान करता है। समानांतर तौर पर, यूरोपीय संघ अत्यधिक खतरनाक पदार्थों के लिए, जहां यूरोपीय संघ स्तर पर, एक पूरक कार्रवाई की जरूरत है, अतिरिक्त उपाय कर सकता है।



Toxic Substances Control Act of 1976 (United States Environment Protection Agency)

Toxic chemicals and their impacts through manufacture, use, and disposal are generally regulated under the Toxic Substances

Control Act (or TSCA) of 1976. TSCA authorizes EPA to, under

TSCA authorizes EPA to, under certain conditions, require testing of chemicals by manufacturers; to collect information on studies indicating human health risks or exposures of concern; to collect data on chemical use (including most recently

information on chemical use in products for children); and to restrict chemicals of high concern.

The Federal Hazardous Substances Act (FHSA) of 1960 (United States of America)

This act requires the labeling of hazardous products that are toxic, corrosive, combustible, or otherwise hazardous, and that have the potential to c cause substantial personal injury or illness as a result of reasonably foreseeable handling, use, or ingestion. The Act also allows

the CPSC to ban certain products (called "banned hazardous substances") that are so dangerous that labeling is not adequate to protect consumers.

विषाक्त पदार्थ नियंत्रण अधिनियम 1976 (संयुक्त राज्य अमेरिका पर्यावरण संरक्षण एजेंसी)

जहरीले रसायनों के विनिर्माण, उपयोग और निपटान के माध्यम से उनके प्रभाव आम तौर पर विषाक्त पदार्थ नियंत्रण

अधिनियम (या टीएससीए) के तहत 1976 के विनियमित रहे हैं। टीएससीए ईपीए को कुछ शर्तों के तहत अधिकृत करता है, जिसमें रसायनों का परीक्षण करने के लिए निर्माताओं द्वारा मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा बने रसायनों के बारे में अध्ययन की आवश्यकता होती है, साथ ही उनके रासायनिक उपयोग के डेटा को एकत्रित करके

(सबसे हाल ही में बच्चों के लिए बने उत्पादों में

रासायनिक उपयोग पर जानकारी शामिल है) और सबसे खतरनाक रसायनों को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाएं जा सकें।

खतरनाक पदार्थ के संघीयअधिनियम (एफएसएसए) 1960 (संयुक्त राज्य अमेरिका)

इस अधिनियम के अनुसार उन खतरनाक उत्पादों की लेबलिंग आवश्यक है, जो कि विषाक्त, संक्षारक, दहनशील, या अन्यथा खतरनाक हैं और जिसके बहुत निकट से उपयोग करने से व्यक्तिगत तौर पर बीमार करने या पर्याप्त चोट देने की संभावना होती है। यह अधिनियम उन कुछ उत्पादों पर सीपीएससी के माध्यम से (जिनके लिए

कहा जाता हैिक 'खतरनाक पदार्थों पर प्रतिबंध लगा दिया) प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है जिनकी लेबलिंग उपभोक्ताओं की रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं है



Children's Toxic Metals Act 2010 (United States of America)

The H.R 4428: Children's Toxic Metals Act Bill was proposed to prohibit the manufacture, sale, and distribution of children's jewelry containing

Cadmium, Barium, or antimony in the United States. The bill requires that any children's jewelry containing the heavy metals of cadmium, barium, or antimony shall be treated as a hazardous

substance under the Federal Hazardous Substances Act.

बच्चों के विषाक्त धातुओं अधिनियम 2010 (संयुक्त राज्य अमेरिका)

एच. आर 4428: बच्चों के विषाक्त धातुओं अधिनियम बिल द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में कैडिमियम, वैरियम और एंटीमनी से

> बने बच्चों गहनों की निर्माण, बिक्री और वितरण को प्रतिबंधित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। बिल के अनुसार बच्चों के कोई भी गहने जो की भारी धातुओं जैसे कैडिमियम, बैरियम और एंटीमनी से बने हैं उन्हें संघीय खतरनाक पदार्थ अधिनियम के

तहत एक खतरनाक पदार्थ के रूप में मानने की आवश्यकता है।

The Consumer Product Safety Act (CPSA) of 1972 (United States of America)

This act is an umbrella statute that consolidates federal safety regulatory activity relating to consumer products within the CPSC. The law defines the authorities of the CPSC (Consumer

Product safety commission) and authorizes the agency to develop standards to reduce or eliminate unreasonable risks of injury associated with consumer products, to ban products if there is no feasible safety standard, and to pursue recalls for products that

present a substantial hazard. For example, it specifically prohibits any toy or other article that is intended for use by children and that contains a hazardous substance if a child can gain access to the substance.

CANTED STATES OF AMERICA

उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा अधिनियम (सीपीएसए) 1972 (संयुक्त राज्य अमेरिका)

यह अधिनियम सीपीएससी के अंतर्गत संघीय सुरक्षा नियामक गतिविधि को पीछे से सहारा देते हुए उपभोक्ता उत्पादों से संबंधित और समेकित करता है। कानून सीपीएससी (उपभोक्ता

उत्पाद सुरक्षा आयोग) के अधिकारों को परिभाषित

करता है और एजेंसी को अधिकृत करता है उन मानकों को विकसित करने के लिए जो चोट के जोखिम को कम और समाप्त करते हैं और जो वर्तमान में खतरनाक उत्पादों के साथ जुड़े हैं,साथ ही अगर वहां कोई मानक व्यवहार्य सुरक्षा ना हो तो उन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी अधिकृत करना है।

उदाहरण के लिए, यह विशेष रूप से उन खिलीनों को प्रतिबंधित करता जिसमें एक खतरनाक पदार्थ होते हैं और यदि वह खतरनाक पद्मार्थ है तो उन्हें बच्चों द्वारा उपयोग के लिए इरादा है और यदि एक बच्चे के पदार्थ में पहुँच प्राप्त कर सकते हैं।

Labeling of Hazardous Arts Material Act (United States of America)

The U.S. Consumer Product Safety Commission (U.S. CPSC) regulation 16 CFR 1500.14 (b)(8)) requires that art materials be evaluated for compliance with the Labeling of Hazardous Art Materials Act (LHAMA) according to the standards of the American Society of Testing and Materials (ASTM D-4236).



खतरनाक कला सामग्री की लेबलिंग अधिनियम (संयुक्त राज्य अमेरिका)

> अमेरिका के उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा आयोग (अमेरिकी सीपीएससी) विनियमन सीएफआर 1500.14(बी)(8) की जरूरत के मृताबिक कला सामग्री का मूल्यांकन अमेरिकी परीक्षण और सामग्री (एएसटीएम डी-4236) सोसायटी के मानकों के अनुसार खतरनाक सामग्री लेबलिंग (एलएचएएमए) के अनुपालन सहित करें।

C-TPAT

C-TPAT is a voluntary government-business initiative that builds cooperative relationships that strengthen and improve overall international supply chain and U.S. border security. C-TPAT is widely recognized as one of the most effective means of providing the highest level of cargo security through close cooperation with

international supply chain businesses such as importers, carriers, consolidators, licensed customs brokers, and Partnership Against Terrorism manufacturers. Through this initiative, U.S.

Customs and Border Protection (CBP) is asking businesses to ensure the integrity of their security practices and communicate and verify the security guidelines of their business partners within the supply chain.

Customs-Trade

सी-टीपीएटी

सी-टीपीएटी एक स्वैच्छिक सरकार-व्यापार पहल है, जो ऐसे सहकारी संबंध बनाती है जिनसे समग्र अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाया जाए और अमेरिका की सीमा सुरक्षा में सुधार किया जा सके। सी-टीपीएटी को व्यापक रूप से, आयातकों, वाहकों, समेकनकर्ताओ, लाइसेंसप्राप्त सीमा शुल्क दलालों और निर्माताओं द्वारा अंतरराष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला

> व्यवसायों के साथ निकट सहयोग के माध्यम से माल के लिए उच्चतम स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक माना जाता है। इस पहल के माध्यम सं. अमेरिकी सीमा

शूल्क और सीमा सुरक्षा (सीबीपी), व्यवसायों से उनकी सुरक्षा प्रथाओं की अखंडता को सुनिष्टिचत करने और आपूर्ति श्रृंखला के भीतर अपने व्यापारिक भागीदारों की सुरक्षा के दिशा निर्देशों को संचारित और सत्यापित करने के लिए कहती है।





Directory निर्देशिका



Useful Resources महत्वपूर्ण जानकारी

INDIA (भारत)

Export Promotion Council for Handicrafts(EPCH)

EPCH House

Pocket 6&7, Sector 'C'

Vasant Kunj,

New Delhi - 110070

Phone: +91-11-26135256/57/58/75

Fax: +91-11-26135518 & 19

Email: mails@epch.com

Website: http://www.epch.in

Development Commissioner (Handicrafts) Ministry of Textiles, Government of India

West Block No. Vii

R.K. Puram

New Delhi-110 066

Email: dchejs@nic.in

Phone: +91-11-26106902

Fax: 011-26163085

Website: http://handicrafts.nic.in

Central Board of Excise & Customs

New Delhi

CBEC, Department of Revenue,

North Block, New Delhi -

110 001

Tele Fax: 011-2309 2351

Website: www.cbec.gov.in

Director General of Foreign Trade

Ministry of Commerce & Industry

Government of India

Udyog Bhawan, H-wing, Gate No-02,

Maulana Azad Road, New Delhi-110011

Phone No. 011-23061562

Fax No. 011-23062225

एक्सपोर्ट प्रोमोशन कौंसिल फौर हैंडीक्राफ्ट्स (ईपीसीएच)

ईपीसीएच हाउस

पॉकेट 6 और 7, सेक्टर 'सी'

वसंत क्ंज,

नई दिल्ली - 110070

फोन: +91-11-26135256/57/58/75

फैक्स: +91-11-26135518 & 19

ईमेल: mails@epch.com

वेबसाइट: http://www.epch.in

डिवल्पमेंट कमीशनर (हेंडिक्राफट)

मिन्सट्टी ऑफ टेक्सटाइल, गर्वमेंट ऑफ इंडिया

वेस्ट ब्लोक नं 7

आर के परम,

नई दिल्ली-110066

ईमेल : dcheis@nic.in

फोन: +91-11-26106902,

फैक्स : 011-26163085

वेबसाइट : http://handicrafts.nic.in

सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साईज एण्ड कस्टम,

नई दिल्ली

सीबीईसी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू

नार्थ ब्लाक

नई दिल्ली - 110001

ईमेल : dchejs@nic.in

फैक्स: 011-2309 2351

वेबसाइट: www.cbec.gov.in

विदेश व्यापार के महानिदेशक

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

भारत सरकार

उद्योग भवन, एच विंग, गेट नं 02,

मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली 110011

फोन : 011—23061562



INDIA (भारत)

Export Credit Guarantee Corporation of India Ltd. (ECGC)

Express Towers, 10th Floor, Nariman Point, Mumbai - 400 021.

Tel: 6659 0500 / 6659 0510 Fax: (022) 6659 0517 / 0546 E-Mail: webmaster@ecgc.in

Federation of Indian Exports Organizations (FIEO)

Head Office

Niryat Bhawan, Rao Tula Ram Marg, Opp. Army Hospital Research & Referral, New Delhi-110 057

Phone: +91-11-46042222, 26150101-04, Fax: +91-11-26148194, 26150077

Email: fico@nda.vsnl.net.in; fico@fico.org,

Website: www.fieo.org

INVEST INDIA

Federation House, Tansen Marg New Delhi – 110 001 Tele: 0091-11-23765085, 23487278, 23487236, 23487411, Fax: 0091-11-23320714, 23721504

Email: investindia@ficci.com Website: www.investindia.gov.in

Metal Handicrafts Service Centre

Peetal Nagri, Rampur Road, Moradabad – 244001 India Phone : 91-591 – 6532354, Telefax: 91-591 – 2460131 Email: rtclindia@gmail.com

Ministry of Commerce and Industry

Udyog Bhawan, New Delhi 110 107 Phone: 91-11-23062261, Fax: 91-11-23063418

Website: www.commerce.nic.in

Ministry of Labour and Employment

Shram Shakti Bhawan

Rafi Marg, New Delhi-110001 Phone: 91-11-23717515, 23710240

Fax: 91-11-23711708

Website: www.labour.nic.in

एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉपोरेशन ऑफ इंडिया एलटीडी (ईसीजीसी)

एक्सर्पेस टावर, 10वां पलोर, नरीमन पाइंट, मुम्बई–400021 टेल: 66590500 / 66590510

फैक्स : (022) 66590517 / 0546 ईमेल : webmaster@ecgc.in

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (एफआईईओ)

प्रधान कार्यालय

निरयात भवनए राव तुलाराम मार्ग, ऑप. आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल, नई दिल्ली — 110057

Phone: +91-11-46042222, 26150101-04, Email: fieo@nda.vsnl.net.in; fieo@fieo.org,

Website: www.fieo.org

इन्वेस्ट इंडिया

फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली — 110001 फोन: 0091-11-23765085, 23487278, 23487236, 23487411, Fax: 0091-11-23320714, 23721504

Email: investindia@ficci.com Website: www.investindia.gov.in

मेटल हें डिक्राफटस सर्विस सेंटर

पीतल नगरी रामपुर रोड, मुरादाबाद 244001 इंडिया फोन 91—591— 6532354 टेली फैक्स : 91—591—2460131

इ मेल : rtclindía@gmail.com

मिन्सट्री ऑफ कोर्मस एंड इंडस्ट्री

उदयोग भवन, नई दिल्ली 110107

फोन : 91-11-23062261फैक्स : 91-11-23063418

वेबसाइट : www.commerce.nic.in

मिन्सिट्री आफ लेबर एंड एमपलाएमेंट

श्रीराम शक्ति भवन

रफी मार्ग नई दिल्ली — 110001 फोन : 91—11—23717515,23710240

फैक्स : 91—591—2460131 ईमेल : www.labour.nic.in

INDIA (भारत)

Ministry of Textiles

Udyog Bhavan,

New Delhi-110011

Ph.No. 91-11-23061338/ 18/14

Fax- 91-11-23063711 / 23063681 Website: www.texmin.nic.in

National Center for Design and Product

Development (NCDPD)

43, Okhla Industrial Estate,

(Behind Modi Flour Mill),

Okhla Phase3, New Delhi-110020

Phone: +91-11-26821262/5,

Fax: +91-11-26821260

Email: ncdpd@ncdpd.com

Quality Council of India

Institution of Engineers Building, IIndFloor,

2 - Bahadur Shah Zafar Marg,

New Delhi - 110002, India.

Tel: 91-11-2337 9321, 2337 9260

Fax: 91-11-2337 8678. Email: info@qcin.org Website: http://www.qcin.org/index.php

Sentio Advisory Initiative Private Limited

CSR Advisors & Consultants

Suite No. 604, Tower B, Unitech Business Zone,

Nirvana Country, South City II, Golf Course

Extension Road,

Sector 50, Gurgaon, Haryana- 122018

Phone: +91- 124- 4115550

Email: Info@sentioadvisory.com

मिन्सट्री ऑफ टेक्सटाईल

उदयोग भवन, नई दिल्ली 110011

फोन: 91-11-23061338/18/14

फैक्स : 91—11—23063711 / 23063681 वेबसाइट : www.texmin.nic.in

नेशनल सेंटर फोर डिजाइन एंड प्रोडक्ट

डिविल्पमेंट (एनसीडीपीडी)

43, ओखला इंडस्ट्रीयल एसटेट,

(बिहाइन्ड मोदी फलोर मिल), ओखला फेज 3,

नई दिल्ली- 110020

फोन 91-11-26821262 / 5

फेक्स : 91-11-26821260

ईमेल : ncdpd@ncdpd.com

क्वालिटी कौंसिल ऑफ इंडिया

इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग बिल्डिंग, दूसरा तल,

2-बहादूर शाह जफर मार्ग,

नई दिल्ली - 110002, इंडिया

फोन: 91-11-2337 9321, 2337 9260

फैक्स: 91-11-2337 8678. ईमेल: info@qcin.org

वेबसाइट: http://www.qcin.org/index.php

सेंटियो एडवाइजरी इनीसिएटिव प्रा. लि.

सीएसआर एडवाइजर्स एण्ड कंसलटेंट्स

स्यूट नं. 604, टावर बी, यूनिटेक बिजिनेस जोन,

निर्वान कंट्री, साउथ सिटी II, गोल्फ कोर्स

एक्सटेंशन रोड,

सेक्टर - 50, गुड़गांव, हरियाणा - 122018

फोन: +91- 124- 4115550

इमेल: Info@sentioadvisory.com

ARGENTINA (अर्जे न्टीना)

Asociacion de Importadores y Exportadores de la Republica Argentina (AIERA)

Address: Avenida Belgrano 124, Piso 1

1092 Buenos Aires.

Phone: +54-1-43420010, Fax: +54-11-43421312

Email: aiera@aiera.org.ar

Website: http://www.aiera.org.ar

एसोसिएशन डी इम्पोर्टाडोरेस वाई एक्सपोर्टेडोरेस डे ला रिपब्लिका अर्जेन्टीना (एआईईआरए)

एड्रेसः एवेनिडा बेलग्रानो 124, पीसो 1

1092 विनस एयर्स

फोन : +54-1-43420010, फैक्स : +54-11-43421312

ईमेल : contacto@comunidadandina.org

वेबसाइटः http://www.aiera.org.ar



ARGENTINA (अर्जेन्टीना)

Camara Argentina de Comercio

Address: Avda. Leandro N. Alem 36

C1003AAN Buenos Aires. Phone: +54-11-53009000 Fax: +54-11-53009036

Website: http://www.cac.com.ar

Secretaria General de la Comunidad Andina

Casilla 18-1177, Pasco de la Republica 3895 Esq. Aramburu, San Isidro, ARGENTINA LIMA 27

Phone: +511-4111400, Fax: +511-2213329 E-mail: contacto@comunidadandina.org Website: http://www.comunidadandina.org

कामरा अर्जेन्टीना डे कोमेरसीवो

एड्रेसः एवेनिडा लीन्ड्रो नं. एलम 36

सी1003एएएन विनस एयर्स फोन : +54-11-53009000 फैक्स : +54-11-53009036

वेबसाइटः http://www.cac.com.ar

सेक्रीटेरिआ जनरल डी ला कमूनीडेड एनडिना

कासिल्ला 18–1177, पासीयो डे ला रेपब्लिका 3895

ऐस्क. अरमबुरु, सन इसीडरो, अर्जेंटीना

लिमा 27

फोन : +511–4111400, फैक्स : +511–2213329 ईमेल : contacto@comunidadandina.org वेबसाइट: http://www.comunidadandina.org

AUSTRALIA (आस्ट्रेलिया)

Australian Trade Commission (Austrade)

Aon tower, 201 Kent Street, Level 23

P.O. Box. 5301

Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA

Phone: +61-2-93902000 Fax: +61-2-93902052

E-mail: info@austrade.gov.au

Website: http://www.austrade.gov.au

ऑस्ट्रेलियन ट्रेड कमीशन (ऑस्ट्रेड)

एओन टावर, 201 केन्ट स्ट्रीट लेवल 23

पी ओ बोक्स 5301

सिडनी, एनएसडव्लयू 2000,ऑस्ट्रेलिया

फोन : +61—2—93902000 फैक्स : +61—2—93902052 ईमेल : info@austrade.gov.au वेबसाइट : http://www.austrade.g

BRAZIL (ब्राजील)

Agencia de Promocao de Esportacoes (APEX)

Sectro Bancario Norte, SBN Quadra 02-

Lote11

Ed, Apex-Brasil

70040-020 BRASILLA, DF

Phone: +55-61-34260202 Fax: +55-61-34260263

E-mail: apex@apexbrasil.com.br

Website: http://www.apexbrasil.com.br

अजेंसीआ डे प्रोमोसाओ डे एसपोर्टकोएस (एपीईएक्स)

सेकट्रो बंकारिओ नोर्टे, एसबीएन कुआड्रा

02-लोटे11

ई डी , एपेक्स -ब्राजील

70040-020 ब्रासिल्ला, डीएफ

फोन : +55-61-34260202 फैक्स: +55-61-34260263

ईमेल : apex@apexbrasil.com.br

वेबसाइट : http://www.apexbrasil.com.br

BRAZIL (ब्राजील)

Associação de Comercia Exterior do Brasil (AEB)

Av, General Justo, 355, 4* Andar 20021-130 RIO DE JANERIO

Phone: +55-21-25440048 Fax: +55-21-25440577

E-mail: acbbras@ach.org.br Website: http://www.aacb.org.br

अस्सोसिएको डे कमरसीए एक्सट्रिओर डो ब्राजील (एईबी)

एवी, जनरल जस्तो, 355, 4' अंदर 20021–130 रिओ डे जेनेरिओ फोन : +55–21–25440048 फैक्स : +55–21–25440577

ईमेल : acbbras@ach.org.br

वेबसाइट : http://www.aacb.org.br

CANADA (कनाडा)

Trade Facilitation office Canada (TFOC)

56 Sparke Street, Suite 300,

OTTAWA, ONTARIO KIP 5A9, CANADA

Phone: +1-613-2333925 Fax: +1-613-2337860 E-mail: tfoc@tfoc.ca

ट्रेड फैसिलेशन ऑफिस कनाडा (टीएफओसी)

56, स्पार्क स्ट्रीट, शूट 300,

ओटावा, ओन्टारिवो केआईपी 5ए9, कनाडा

फोन: +1-613-2333925 फैक्स: +1-613-2337860 ईमेल: tfoc@tfoc.ca

CHILE (चिली)

Direccion de Promocion de Exportaciones (PROCHILE)

Teatinos 180, piso 10 SANTIAGO, CHILE

Phone: +562-5659000 Fax: +562-5659083

E-mail: info@prochile.cl

Federacion Gremial de la Industria (SOFOFA)

Avda, Andres Bello 2777, Piso 3, Las Condes

Casilla 37 Correo 35 tobalaba

SANTIAGO, CHILE Phone: +562-3913100 Fax: +562-3913200

E-mail: sofofa@sofofa.cl

डायरेक्शन डे प्रोमोशन डे एक्सपोर्टेसीयन्स (प्रोचील)

टीटीनस 180, पीसो 10

सैनिटगो, चिली

फोन : +562-5659000 फैक्स : +562-5659083 ईमेल : info@prochile.cl

फेडरेशन ग्रेमियल डे ला इंडस्ट्रीय (सोफाफा)

एवडा, एन्ड्रेस बेलो 2777, पीसो 3, लास कोंडेस

कैसिला 37 कोरियो 35 टोबालाबा

सैन्टीएगो, चिली

फोन: +562-39131007442406(D)

फैक्स : +562-3913200

ईमेल : mail: sofofa@sofofa.cl



CHINA (चीन)

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

1, Fuxingmenwai Street BEIJING 100860, CHINA

Phone: +86-10-68013344 Fax: +86-10-68030747 E-mail: ccpit@ccpit.org

चायना कौंसिल फॉर द प्रोमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड (सीसीपीआईटी)

1, फुक्सीन्गमेनवाई स्ट्रीट बिजींग 100860. चायना

फोन : +86-10-68013344 फैक्स : +86-10-68030747 ईमेल : ccpit@ccpit.org

COLOMBIA (कोलम्बिया)

Associacion Colombiana de Medianas y Pequenas Industrias (ACOPI)

Carrera 15, No. 36-70

BOGOTA, D.C., COLOMBIA Phone: +57-1-3204783, Fax: +57-1-2688965

E-mail: comunicaciones@acopi.org.co

Associacion Nacional de Comercio Exteriar (ANALDEX)

Calle 40 no. 13-09, Piso 10 BOGOTA, D. C., COLOMOBIA

Phone: +57-1-5700600, Fax: +57-1-5700600

E-mail: analdex@analdex.org Website: http://www.analdex.org

असोसिअसिओं कोलोम्बियन दे मेडियन्स य पेकुएनस इंडस्ट्रियस(अकोपी)

कारेराः 15, एनओ. 36-70 वोगटा, डी.सी., कोलंबिया

फोनः 57.1.3204783, फैक्सः 57.1.2688965

ई-मेलः comunicaciones@acopi.org.co

अस्सोसिअसिओं नाकिओनल दे कमरसिओ एक्सटेरिअर (अनालडेक्स)

कल्ले ४० नो. १३–०९, पीसो १० बोगोटा डी. सी.. कोलंबिया

फोनः 57.1.5700600, फैक्सः 57.1.5700600

ई—मेलः analdex@analdex.org वैबसाईटः http://www.analdex.org

CROATIA (क्रोशिया)

Trade and Investment Promotion Agency (APIU)

Address: Andrije Hebrangya 34 10000 ZAGREB, CROATIA

Phone: +385-1-4866-000, Fax: +385-1-4866-009

E-mail: info@croinvest.org

ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी (एपीआईयु)

आंद्रिजे हेब्रॉंग्य 34 10000 जाग्रेव, क्रोएशिया

फ़ोनः 385.1.4866.000, फैक्सः 385.1.4866.009

ईमेलः info@croinvest.org

CZECH REPUBLIC (चेक रिपब्लिक)

Czech Trade Promotion Agency (Czech Trade)

Address: Dittrichova 21

P.o. Box 76, 128 01 Prague, Czech Republic

Phone: +420-2-24907500 Fax: +420-2-24907503 E-mail: info@czechtrade.cz

चेक ट्रेड प्रमोशन एजेंसी (चेक ट्रेड)

डिट्रिचोवा 21

पी. ओ. बॉक्स 76, 128 01 परागुए, चेक रिपब्लिक

फ़ोनः +420-2-24907500 फ़ेक्सः +420-2-24907503

ई –मेलः info@czechtrade.cz

DENMARK (डेनमार्क)

Danish Import Promotion Programme (DIPP)

Danish Chamber of Commerce, Borsen-

Slotsholmsgade

1217 COPENHAGEN K, DENMARK

Phone: +45-33746000, Fax: +45-33746080

E-mail: dipp@danskerhverv.dk Website: http://www.dipp.eu

Danish Trade Council

Asiatisk Plads 2

1448 COPENHAGEN K, DENMARK

Phone: +45-33920000, Fax: +45-32540533

E-mail: um@um.dk

Website: http://www.eksportraadet.dk

डेनिश इम्पोर्ट प्रमोशन प्रोग्राम (डिप्प)

डेनिश चैम्बर ऑफ़ कॉमर्स, बोरसे- स्लोटशोलंसगडे

1217 कोपेनहेगेन के, डेनमार्क

फोनः 45.33746000ए फैक्सः 45.33746080

ई-मेलः dipp@danskerhverv.dk

वेबसाइटः http://www.dipp.eu

डेनिश ट्रेड कौंसिल

एसिटीस्क प्लॅडस 2

1448 कोपेनहेगेन के. डेनमार्क

फ़ोनः +45.33920000

फैक्सः 45.32540533

ई-मेलरू um@um.dk

वेबसाइटः http://www.eksportraadet.dk

FRANCE (फ्रांस)

International Chamber of Commerce

33-43 avenue du Président Wilson

75116 Paris, France

Tel: +33 (0) 1 49 53 28 28

Fax: +33 (0) 1 49 53 28 59

Website: http://www.iccwbo.org/

इंटरनेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स

33-34 एवेन्यू डू प्रेसिडेंट विल्शन

75116 पेरिस, फ्रांस

फ़ोन: +33 (0) 1 49 53 28 28

फैक्सः + 33 (0) 1 49 53 28 59

वेबसाइटः http://www.iccwbo.org/

GERMANY (जर्मनी)

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)

Address: Dag-Hammarskjold-Weg 1 – 5 Postfach 5180, 65760 ESCHBORN

Germany

Phone: +49-6196-791229 Fax: +49-6196-796150

Email: jochem.lange@gtz.de, info@gtz.de

Website: http://www.gtz.de/english

Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ)

एड्रेसः डैग-हम्मारसकुजोल्ड - वेग 1 - 5

जर्मनी

फ़ोनः +49-6196-791229

फैक्सः +49-6196-796150

पोस्टफेक 5182, 65760 एसबोर्न

इमेलः jochem.lange@gtz.de, info@gtz.de वेबसाइटः http://www.gtz.de/english



JAPAN (जापान)

Japan Foreign trade Council Inc (JFTC)

World Trade Centre Bldg, 6th FL, 4-1, Hamamatsu-Cho, 2-ch, Minato-ku

TOKYO 105, JAPAN

Fax: +81-3-34355979

Phone: +81-3-34355952

Website: http://www.jftc.or.jp

Japan External Trade Organization (JETRO)

6F 12-32 Akasaka I-chome, Minato-ku

TOKYO 107 6006, JAPAN

Phone: +81-3-35825770, Fax: +81-3-35827376

E-mail: webinfo@jetro.go.jp Website: http://www.jetro.go.jp

जापान विदेश व्यापार परिषद इंक (जेएफटीसी)

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग, 6 एफएल, 4-1,

हमामात्सू-चो, 2 चर्चा,

मिनाटो-कू

टोक्यो 105, जापान

फोनः रू 81.3.34355952

फैक्स: 81.3.34355979

वेबसाइटः http://www.jftc.or.jp

जापान विदेश व्यापार संगठन (जेटरो)

पताः ६एफ 12-32 अकआसाका आई-कोमे, मिनाटो कू

टोक्यो 1076006, जपान फोनः +81-3-35825770 फैक्सः 00+81-3-35825770

ईमेलः webinfo@jetro.go.jp

वेबसाइटः http://www.djetro.go.jp

KOREA (कोरिया)

Korea International Trade Association (KITA)

Trade Tower, Room 604, 159-1, Samsung-

dong, Kangnam-ku

SEOUL 135-729, KOREA

Phone: +82-2-60005269

Fax: +82-2-60005161

E-mail: admin@kita.net

Website: http://www.kita.or.kr

Korea Trade-Investment Promotion Agency (KOTRA)

Kotra 13, Heolleungno, Secho-gu

P.O.Box 101, SEOUL, KOREA

Phone: +82-2-34607114 Fax: +82-2-34607777

E-mail: hecho@kotra.or.kr

Website: http://www.kotra.or.kr

कोरिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ (किटा)

ट्रेड टॉवर, 604 कक्ष, 159-1, सैमसंग-दांग,

कैंगनैम-कू

सियोल 135-729, कोरिया

फोनः 82.2.60005269 फैक्सः 82.2.60005161

ई मेलः admin@kita.net

वेबसाइटः http://www.kita.or.kr

कोरिया व्यापार निवेश संवर्धन एजेंसी

(कोटरा)

कोटरा 13, हेओल्लेउंग्नू, सेचो-जीयू

पी.ओ.बॉक्स 101 सियोल, कोरिया

फोन: 82.2.34607114

फैक्स: 82.2.34607777

ई मेलः hecho@kotra.or.kr वेबसाइटः http://www.kotra.or.kr

THE NETHERLANDS (दि नीदरलैण्ड्स)

Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries (CBI)

WTC-Beursbuilding, Beursplein 37, 5th Floor

P.O. Box 30009

3001 DA ROTTERDAM, NETHERLAND

Phone: +31-10-2013434 Fax: +31-10-4114081 E-mail: cbi@cbi.eu

सेन्टर फॉर प्रमोशन ऑफ इमपोर्ट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज (सीबीआई)

डब्ल्यूटीसी, ब्योरोबिल्डींग, ब्योरोसप्लाइन 37, 5 फ्लोर,

पी. ओ. बॉक्स 30009

3001 डारोड्डेर्डम, नीदरलैंड फोन : +31–10–20113434

फैक्स : +31-10-4114081 ई-मेल : chi@chi.en

PANAMA (पनामा)

Associacion Panamena de Exportadores (APEX)

Apartado 0819-03646

PANAMA

Phone: +507-2300169 Fax: +507-2300805

E-mail: apex@cableonda.net

एसोसिऐशन पनामेना डी एक्सपोरटेडोरस (एपेक्स)

एपेरटाडो 0189-03646

पनामा

फोन: +507-2300169 फैक्स: +507-2300805

ई मेल : apex@cableonda.net

PERU (पेरू)

Sociedad de Comercio Exterior del Pera (COMEXPERU)

Bartolome Herrera 254 LIMA 18, PERU

Phone: +51-1-4225784, Fax: +51-1-4225942

E-mail: comexperu@comexperu.org.pe

Website: http://www.comexperu.org.pe

Secretaria General de la Comunidad Andina

Casilla 18-1177, Paseo de la Republica 3895

Esq. Aramburu, San Isidro

LIMA 27, PERU

Phone: +511-4111400

Fax: +511-2213329

E-mail: contacto@comunidadandina.org

Website: http://www.comunidadandina.org

सोसिडेड डी कोमरसिओ एक्सटेरिअर डेल पेरा (कोमेक्सपेरू)

बारटोलोम हेरेरा 254

लिमा 18, पेरू

फोन : +51-1-4225784, फैक्स : +51-1-4225942

इै मेल : comexperu@comexperu.org.pe वेबसाइट : http://www.comexperu.org.pe

सेकरेटेरिया जेनरल डे ला कम्यूनिडाड एणेना

कैसिला 18-1177, पासिओं डे ला रिपब्लिका 3895

इएसक्यू अरामबुरू, सन इसीड्रो

लिमा 27, पेरू

फोन : +511-4111400 फैक्स : +511-2213329

इै मेल : contacto@comunidadandina.org

वेबसाइट : http://www.comunidadandina.org



RUSSIA (रूस)

Ministry of Economic Development and Trade

Ovchinnikovskaya Nab. 18/1 MOSCOW 113324, RUSSIA

Phone: +7-495-9501892, Fax: +7-495-9501867

E-mail: manakin_em@gov.ru

Website: http://www.economy.gov.ru

मिनिस्ट्री ऑफ इकनोमिक डेवलपमेंट एंड ट्रेड

ओवचिन्नीकोवस्काया नब 18/1

मास्को 113324, रूस

फोनः +7-495-9501892, फैक्स : +7-495-9501867

ईमेल : manakin_em@gov.ru

वेबसाइट : http://www.economy.gov.ru

SOUTH AFRICA (दक्षिण अफ्रिका)

Department of Trade and Industry (DTI)

Private Bag X 84

PRETORIA 0001, SOUTH AFRICA

Phone: +27-12-4287905, Fax: +27-12-4287898

E-mail: contactus@thedti.gov.za
Website: http://www.thedti.gov.za
South African Chamber of business
(SACOB)

P.O. Box 213

SAXONWOLD 2132, SOUTH AFRICA

Phone: +27-11-4463800, Fax: +27-11-4463847

Website: http://www.sacob.co.za

डिपारटमेंट ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री

पराईवेट बेग एक्स 84

पिरिटोरिया 0001, साउथ अफ्रीका

फोन : +27—12—4287905 फैक्स : +27—12—428798

ई मेल : contactus@thedti.gov.za वेबसाइट : http://www.thedti.gov.za

साउथ अफ्रिकन चेम्बर ऑफ बिज़निस (साकोब)

पी ओ बोक्स 213

सेक्सोनवल्ड 2132, दक्षिण अफ्रिका

फोन : +27-11-4463800, फैक्स : +27-11-4463847

वेबसाइट : http://www.sacob.co.za

SPAIN (स्पेन)

Camara Official de Comercio e Industria de Madrid

Ribera del Loira, 56, 28042 MADRID, SPAIN Phone: +34-91-5906900, Fax: +34-91-5906908

E-mail: info@cscamaras.es

Website: http://www.camaramadrid.es

Instituto Espanol de Comercio Exterior (ICEX)

Paseo de la Castellana, 14-16 28046 MADRID, SPAIN

Phone: +34-90-2446006, Fax: +34-90-2349000 E-mail: icex@icex.es, Website: http://www.icex.es

केमेरा ओफिशियल डी कोमरसियो इ इंडस्ट्रीअ डी मेडरिड

रिबेरा डेल लोएरा, 56, 28042 मेडरिड , स्पेन

फोन: +34-91-5906900, फैक्स: +34-91-5906908

ई मेल : info@cscamaras.es

वेबसाइट : http://www.camaramadrid.es

इंस्टीटूटो एस्पानोल डे कोमेरिकों एक्सट्रिओर (आईसीईएक्स)

पासीयो डे ला कास्टेलाना, 14-16

28046 मेड्रिड, स्पेन

फोन :+34—90—2446006, फैक्स : +34—90—2349000 ईमेल : icex@icex.es, वेबसाइट : http://www.icex.es

SWEDEN (स्वीडेन)

EXPORTRADET

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70

P/O/Box 240

10124 STOCHOLM, SWEDEN

Phone: +46-8-58866000 Fax: +46-8-58866190

E-mail: CIC@swedishtrade.se

Website: http://www.swedishtrade.se

एक्सपोर्टट्रडेट

वर्ल्ड ट्रेड सेन्टर, क्लर्बर्गस्वीअडकतें 70

पी/ओ/बॉक्स 240

10124 स्टॉकहोल्म, स्वीडन

फोन :+46-8-58866000

फैक्स:+46-8-58866190

ई -मेलः CIC@swedishtrade.se

वेबसाइटः http://www.swedishtrade.se

SWITZERLAND (स्वीटजरलैण्ड)

Swiss Import Promotion Programme (SIPPO)

Stanpfenbachstrasse 85,

P. O.Box 2407, 8021 Zurich, Switzerland. Phone: +41-44-3655200. Fax: +41-44-3655202

Website: http://www.sippo.ch

International Trade Center

Palais des Nations

1211 Geneva 10, Switzerland

Phone:(41-22) 730 01 11 Fax: (41-22) 733 44 39

Website: http://www.intracen.org/

World Trade Organisation

Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154,

CH-1211 Geneva 21, Switzerland

Phone: +41 (0)22 739 51 11 Fax: +41 (0)22 731 42 06

Website: http://www.wto.org/index.htm

स्वीस इम्पोर्ट प्रोमोशन प्रोग्राम (सीपो)

स्टैनफेनबैचस्ट्रेस 85,

पी.ओ. बॉक्स 2407, 8021 जूरीत, स्वीटजरलेण्ड

फोन : +41-44-3655200, फैक्स : +41-44-3655202

वेबसाइट : http://www.sippo.ch

इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर

पैलेस डेस नेशन्स

1211 जेनेवा 10. स्वीटजरलैण्ड

फोन : (41-22) 730 01 11] फैक्स : (41-22) 733 44 39

वेबसाइट : http://www.intracen.org/

वर्ल्ड ट्रेड ऑगनाईजेशन

सेंटर विलियम रैपर्ड, रू डे लओसेन 154, सीएच — 1211 जेनेवा 21, स्वीटजरलैण्ड

फोन: +41 (0)22 739 51 11 फैक्स: +41 (0)22 731 42 06

वेबसाइट : http://www.wto.org/index.htm

TURKEY (तुर्की)

Export Promotion Centre of Turkey (IGEME)

Undersecretariat for Foreign Trade, Mithatpasa Cad. 60 Kizilay 06420 ANKARA, TURKEY

Phone: +90-312-4172223, Fax: +90-312-4172233

E-mail: igemeege@igeme.org.tr Website: http://www.igeme.org.tr

एक्सपोर्ट प्रमोशन सेंटर ऑफ टर्की (आईजीईएमई)

अंडरसेक्रेटेरिएट फॉर फॉरेन ट्रेड, मिथतपसा काड.

60 किजिलय

06420 अंकारा, टर्की

फोन: 90-312-4172223 ,फैक्स: 90-312-4172233

ईमेल : igemeege@igeme.org.tr वेबसाइट : http://www.igeme.org.tr



UNITED KINGDOM (यूनाइटेड किंगडम)

UK Trade & Investment

Kingsgate house, 66-74 Victoria Street LONDON SWIE 6SW

Phone: +44-20-72158000, Fax: +44-20-78281281 E-mail: enquiries@uktradeinvest.gov.uk Website: http://www.uktradeinvest.gov.uk

युके ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट

किंग्सगेट हाउस, 66-74 विक्टोरिया स्ट्रीट

लंदन एसडब्ल्यूआई 6 डब्ल्यू

फोन : +44-20-72158000 , फैक्स : +44-20-78281281

ईमेल : enquiries@uktradeinvest.gov.uk वैबसाइटः http://www.uktradeinvest.gov.uk

UNITED STATES OF AMERICA (संयुक्त राज्य अमरिका)

United States International Trade Commission (USITC)

500 E Street SW , Washington, DC 20436, USA Website: http://www.usitc.gov/index.htm

United States Department of Labor (DOL)

200 Constitution Ave.,

NW Washington, DC 20210, USA

Phone: 1-866-487-2365

Website: http://www.dol.gov/

Office of the United States Trade

Representatives (USTR) 600 17th Street NW, Washington, DC 20508, USA

Phone: 202-395-6843

Website: http://www.ustr.gov/

यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल ट्रेड कमिशन (यूएसआईटीसी)

500 ई स्ट्रीट एसंडब्ल्यूए वाशिंगटन, डीसी 20436, यूएसए वेबसाइटः http://www.usitc.gov/index.htm

यूनाटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ लेबर (डीओएल) 200 कंस्टीट्यूशन एवेन्यू,

एनडब्ल्यू वाशिंगटन, डीसी 20008, यूएसए

फोन: 1-866-487-2365

वेबसाइटः http://www.dol.gov/

ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड

रिप्रजेन्टेटिव (यूएसटीआर) 600 17वां स्ट्रीट एनडब्ल्यू वा्शिंगटन, डीसी 20508, यूएसए

फोन: 202-395-6843

वेबसाइट : http://www.ustr.gov/

EPCH Offices & Contact Points



Head Office

Export Promotion Council for Handicrafts

"EPCH House", Pocket-6 & 7, Sector "C", L.S.C., Vasant Kunj, New Delhi-110 070. Tel:+91-11-26135256/57/58/75; Fax:+91-11-26135518/19; E-mail:epch@vsnl.com

Regional / Representative Offices

Bangalore

Export Promotion Council for Handicrafts 302, 3rd Floor, Cears Plaza, No. 136, Residency Road, Bangalore-560001 Tel: +91-80-22107367 Telefax: +91-80-22107369

Email: bangalore@epch.com

Kolkata

Export Promotion Council for Handicrafts 53/1, Sambhunath Pandit Street, First Floor, (Opp. Bangur Institute of Nueroscience & Psychiatry) Kolkata-700025 Tel: +91-33-24191744; Fax: +91-33-24191745 E-mail: kolkata@epch.com

Moradabad

Export Promotion Council for Handicrafts 1B/441, Budhi Vihar, Near Hero Honda Showroom, Moradabad-244001 Tel: +91-591-2480075 Fax: +91-591-2480076 Email: moradabad@epch.com

Extension Counters

Agra

Export Promotion Council for Handicrafts (Extn. Counter - Agra)
C/o Handicrafts Exporters Association
1/129, Bagichi Tulsiram,
Shahgani Parchkuiyan Road, Agra-282010
Tel: +91-562-2210246; Mob: +91-8126591641
E-mail: agra

Jaipur

Export Promotion Council for Handicrafts
Plot No.A-1, "Sheel Mohar Plaza",
2nd Floor, Tilak Marg, C-Scheme, Jaipur-302005
Mob: +91-9983321833
E-mail: jaipur@epch.com

Common Facility Centres

Jodhpur

Export Promotion Council for Handicrafts
C/o Jodhpur Handicrafts Exporters Association
SPL-1, Basni Industrial Area, Jodhpur
Tel.: +91-291-2720373; Mob: +91-8766006937
E-mail: jodhpur©epch.com

Saharanpur

National Centre for Photo and Picture Framing Technology
UPEC Complex, Mandi Samiti Road,
Saharanpur-247001
Tel: +91-132-2613093; Mob: +91-9027463858
E-mail: saharanpur@epch.com

| Important Contact Points at EPCH Headquarters | | | |
|---|---|----------|--|
| Section | Email | Ext. No. | |
| Membership | membership@epch.com renewmembership@epch.com | 121 | |
| Policy | policy@epch.com | 118 | |
| Fairs. | ihgf@epch.com | 110 | |
| Accounts | accounts@epch.com | 132 | |
| MDA | mda@epch.com | 123 | |
| Trade Complaints | aks@epch.com, projects@epch.com | 105/127 | |



EXPORT PROMOTION COUNCIL FOR HANDICRAFTS

"EPCH HOUSE", Pocket 6&7, Sector 'C', LSC, Vasant Kunj, New Delhi-110070 Tel: +91-11-26135256 Fax: +91-11-26135518 & 19 Email: mails@epch.com, Website: www.epch.in

हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद्

''ईपीसीएच हाउस'', पॉकंट 6 एवं 7 , सेक्टर 'सी', एलएससी, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070 दूरमाप: +91-11-26135256, फंक्स: +91-11-26135518 एवं 19 ईमेल: mails@epch.com, वेबसाइट www.epch.in

(Published under Financial Assistance of Office of Development Commissioner (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India)